पंचम माला, खंड 61, अंक 35, शुक्रवार, 7 मई, 1976/17 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXI, No. 35, Friday, May 7, 1976/Vaisakha 17, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[16 वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—427LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35, शुक्रवार, 7 मई, 1976 /17 वैशाख, 1898 (शक)
No. 35, Friday, May 7, 1976/Vaisakha 17, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या 710, 713 से 718 724, 726 और 728	*Starred Questions No. 710, 713 to 718 724, 726 and 728.	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	18—68
तारांकित प्रश्न संख्या 711, 712, 719 से 723, 725, 727, 729 और 730	Starred Questions Nos. 711, 712, 719 to 723, 725, 727, 729 and 730	18—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 3496 से 3509, 3511 से 3522, 3524 से 3555, 3557 से 3577 और 3579 से 3598	Unstarred Questions Nos. 3496 to 3509, 3511 to 3522, 3524 to 3555, 3557 to 3577 and 3579 to 3598	22—69
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	69—70
सभा का कार्य	Business of the House . .	70
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक—पुरः स्थापित	Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill—*Introduced* . . .	71
कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1976 के बारे में वक्तव्य श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Statement *re* Coal Mines (Nationalisation) Amendment Ordinance, 1976 Shri K. C. Pant . . .	71
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77 .	71—79
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Industry and Civil Supplies	71—79
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	71
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	72
श्री चपलेन्द भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharryia	73
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	74
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	74
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo . . .	75

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+ marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	75
श्री गिरीधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	76
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	76
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	77
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav .	78
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	78
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	78
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai	79
मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियन्त्रण **विधेयक**—श्री के० लकप्पा का—**वापस लिया गया**	Profiteering Prevention and Price Control Bill by Shri K. Lakkappa—*Withdrawn*	*85—91*
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider :	
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	85
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	86
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh .	86
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya .	87
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	87
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai .	87
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga .	88
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	88
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	88
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	89
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa .	90
संविधान (संशोधन) विधेयक,	Constitution (Amendment) Bill	91—*93*
(अनुच्छेद 124 का संशोधन) श्री पी० के० देव द्वारा	(Amendment of Article 124) by Shri P. K. Deo	91—93
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	91
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo .	91
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla .	92
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	93

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 7 मई, 1976/17 वैशाख, 1898 (शक)

Friday, May 7, 1976/Vaisakha 17, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mica Advisory Board

*710. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH
SHRI K. LAKKAPPA : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have constituted a Mica Advisory Board ;

(b) if so, the objects and the number of members thereof; and

(c) whether a meeting of the Board was held recently and if so, the decisions taken for the promotion of mica trade?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार ने एक अभ्रक सलाहकार समिति गठित की है जो उसे निम्नलिखित के बारे में किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सलाह देगी :

(1) अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यातों में सुधार करना ; और

(2) संसाधित तथा विरूचित अभ्रक का विकास, अभ्रक पर आधारित उद्योगों का संवर्धन और अभ्रक उत्पादों का निर्यात।

इस समय समिति के 23 सदस्य हैं।

समिति की पहली बैठक 22 मार्च, 1976 को हुई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :

(1) सं० 5 से नीचे के साइज़ों के संसाधित अभ्रक, अभ्रक स्क्रेप/विस्ट और फैक्टरी कटिंग्स के निर्यात को शयरिंग फार्मूले से पृथक कर दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि प्राइवेट पार्टियों को इन साइज़ों के अभ्रक के बारे में जो संविदाएं प्राप्त हों उनको वे उसी प्रकार शत-प्रतिशत पूरा कर सकती हैं जिस प्रकार अभ्रक व्यापार निगम कर सकता है। संसाधित अभ्रक का निर्यात पूर्ववत केवल अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जा सकता है; और

(2) ब्रिज अभ्रक और अभ्रक पाउडर की न्यूनतम कीमतें कम कर दी गई हैं। अभ्रक स्क्रेप का दो श्रेणियों में वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : There has been continuous decline in the export of mica during the last many years and that is why Government was obliged to constitute a Mica Advisory Board. I congratulate the Government for this. It is a right step in the right direction. I would like to know the names of the countries to whom mica is exported and whether there has been any increase or decrease in the export of mica during the last three years and if the export of mica has declined the steps taken or proposed to be taken by Government to increase it's export and find new areas for it's export ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : The main buyers of our mica are USSR, socialist countries and USA.

The figures of export during the last three years are as follows:—

Year	Amount of export
1972-73	19·52 crores
1973-74	17·52 crores
1974-75	24·22 crores

It is hoped that the export this year will be to the tune of Rs. 22 crores.

In order to boost up the export of mica, it's floor price has recently been reduced, in view of it's international prices. In addition therto strict steps have been taken in the matter of quality control. Mica Trading Corporation proposes to set up a Training Centre at Jhumritalia.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : The figures quoted by the hon. Minister indicate that the export during 1973-74 was to the tune of Rs. 17 crores whereas during 1974-75 it was to the tune of Rs. 24 crores. In this regard I would like to point out that there has not been any appreciable increase in the quantity of it's export as the same quantity which valued Rs. 17 crores before the increase in the floor price valued Rs. 24 crores after the increase in the floor price. I would like to know the increase in the quantity of it's export ?

Secondly I would like to know whether all sections and institutions have been given due representation in the constitution of Mica Advisory Board or it is proposed to increase it's Membership in order to accommodate those who have not been given due representation ?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : There is not doubt that the increase in the floor price has resulted in the increase of value of the mica. But it will be seen from the figures that there has been increase in the quantity of export of mica which is as follows:

Year	Item	Quantity
1970-71 . . .	Mica	1548 tonnes
1974-75 . . .	,,	843 tonnes
1970-71	Condenser	104 ·36 tonnes
1974-75	,,	143 ·51 tonnes
1970-71	Splittings	5645 ·50
1974-75	,,	6994 ·67
1970-71	Scrap and waste	15,234 ·36
1974-75	,,	27 ·10 ·36

It is clear from the above figures that the export has on the whole increased.

So far as the question of represention is concerned it is under Government's consideration and a suitable decision will be taken.

MR. SPEAKER : You need not go into minute details . It is suffieicnt to say that not only the value but quantity also has increased.

श्री के० लकप्पा : अभ्रक बोर्ड के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभ्रक व्यापार निगम जिस ढंग से कार्य कर रहा है, उस से लोगों के हृदय में सन्देह उत्पन्न हो गया है। यहां एक साहब हैं, जो हेराफेरी का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आरोप न लगाइए। किन्हीं व्यक्तियों के नाम बीच में ला कर सनसनी पैदा न कीजिए।

श्री के० लकप्पा : अभ्रक व्यापार निगम के महत्वपूर्ण व्यक्ति गलत कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई व्यक्तियों को उन का जायज हक नहीं मिला। निगम के विरूद्ध क्या-क्या आरोप हैं और सरकार का विचार किस भांति उन की जांच करने तथा उन्हें दूर करने का है?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न बहुत संगत है। मैं आप का संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें इस नियम का पालन करना चाहिये कि जब कोई आरोप लगाये तो उस की पूर्व सूचना दी जाये। आप सभा में किन्हीं व्यक्तियों अथवा संगठनों का नाम ला कर सनसनी पैदा न कीजिए। अगला प्रश्न।

केरल में काजू कारखानों का बन्द होना

*713. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अनेक काजू कारखानों के बन्द हो जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने कारखाने बन्द पड़े हैं और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने बन्द कारखानों को पुनः चालू करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : कच्चे काजू की मांग एवं उपलब्धता के बीच बड़ा अन्तर होने के कारण देश में काजू कारखानों को, जिनमें केरल के कारखाने भी शामिल हैं, वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न समय के लिये आवश्यक रूप से बन्द रहना पड़ता है। केरल राज्य सरकार से पूछताछ करने पर पता चला है कि राज्य की कुल 278 फैक्टरियों में से 30 अप्रैल, 1975 को 143 फैक्टरियां नहीं चल रही थीं।

(ग) तंजानिया तथा मोज़म्बिक से कच्चे काजू की खरीद को अन्तिम रूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के मार्गोपाय भी ढूंढे जा रहे हैं।

श्री ए० के० गोपालन : क्या योजना आयोग के एक सदस्य श्री श्रीनिवासन, ने एक वर्ष पूर्व इस उद्योग पर एक यात्रा प्रतिवेदन किया था जिसमें सिफारिश की गई थी कि इस उद्योग के लिए कुछ किया जाये ? क्या राज्य सरकार ने भी कुछ सिफारिशें की थीं, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : काजू उद्योग की मूल समस्या उपलब्ध मात्रा और स्थापित क्षमता में अन्तर की है, इस संबंध में श्री श्रीनिवासन ने देश में उत्पादन बढ़ाने की सिफारिश की थी। केरल सरकार ने नए पौधे लगाने के लिए भूमि अंकित की है। भारतीय काजू निगम को डा० के० एन० राज के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है जो जून में उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद ही हम यह निश्चय कर पायेंगे कि नई खेती की कैसे वित्तीय सहायता की जाये। केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और लक्ष्य 10,000 टन का है। यह प्रस्ताव पांचवीं योजना का है। राज्य क्षेत्र में काजू की खेती का क्षेत्र बढ़ा कर 1.31 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या राज्य सरकार ने कुछ मास पूर्व इस उद्योग के विकास संबंधी सिफारिश की थी और इसके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी थी ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केन्द्र सरकार इस समस्या के प्रति सजग और चिन्तित है। कृषि मंत्रालय में नए पौधे लगाने पर दो वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति हैक्टेयर वार्षिक राज सहायता देने का प्रस्ताव है और निजी खेती के लिए लक्ष्य 85,000 हैक्टेयर और राज्य की खेती के लिए 60,000 हैक्टेयर है।

श्री एच० एम० पटेल : राज्य सरकार ने क्या सिफारिशें की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? उन्होंने केन्द्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में ही बताया है।

श्री ए० के० गोपालन : इस उद्योग के विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले के नाते क्या राज्य सरकार ने इसके विकास की कोई योजना का प्रस्ताव भेजा था, यदि हां, तो क्या केन्द्र

को वह योजना प्राप्त हुई है? वह योजना उन्हें कब मिली और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे सही तिथियों का तो पता नहीं है, तथापि इस मामले पर केन्द्र और राज्य सरकार आपस में पत्र-व्यवहार कर रही हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को पता है कि काजू का सर्वाधिक निर्यात करने वाले देश, तंजानिया के साथ भारत द्वारा आयात किए जाने वाले काजू के संबंध में इसकी बिक्री तथा बिक्री मूल्य संबंधी कोई समझौता नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल तथा देश के अन्य भागों में उपभोग के लिए भारतीय काजू निगम द्वारा सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध काजू का काफी मात्रा में आयात करने का है और यदि आवश्यक हो तो गत वर्षों में हुए भारी लाभ में से राज सहायता देने का है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : काजू उचिततम मूल्य पर खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तव में तंज़ानिया और मोज़मबीक के साथ करार इस लिए नहीं हो सके क्योंकि वे गत वर्ष के मूल्यों से भी अधिक की मांग कर रहे थे। केनिया में हम दस से पन्द्रह हजार टन काजू मंगाने का सौदा करने में सफल हुए हैं जो उस देश से निर्यात की जाने वाली कुल मात्रा है। इनका मूल्य भी गत वर्ष के मूल्यों से कम है।

आयात पर राजसहायता देने के प्रश्न पर हमने कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है। इस बारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस समय नई फसल से हम कच्चे काजू प्राप्त कर रहे हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न यह था कि क्या काजू निगम गत कुछ वर्षों में हुए भारी लाभ में से कुछ राज सहायता देगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस सम्बन्ध में मेरे लिए कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कपड़ा मजदूरों को 'ब्रोंकाइटिस' रोग होने की सम्भावना

*714. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कपड़ा मजदूरों को 'ब्रोंकाइटिस' रोग होने की अधिक संभावना रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यह सर्वविदित तथ्य है कि कताई तथा बुनाई विभागों के कर्मचारियों को ब्रोंकाइटिस रोग होने की अधिक संभावना रहती है। इस संकट को न्यूनतम करने का एक तरीका यह है कि रूई के रोयों और धूल के उड़ने को रोका जाये। कुछ मिलों ने रोये/धूल सींचने की मशीनें लगाई हैं। मिलों में इस प्रकार की रोयें/धूल सींचने की मशीनें लगाने तथा सफाई का बेहतर स्तर बनाये रखने की आवश्यकता की ओर भारतीय सूती मिल संघ का ध्यान उपयुक्त कार्यवाही के लिए दिलाया गया है।

SHRI JAGANNATH MISHRA : Sir, he says that this disease is prevalent in textile workers particularly. Whether he has appointed Teams of Experts from time to time to go into it ? If so, the findings there of and whether its incidence has increased during the last three years or whether it has decreased?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दो अध्ययन किए गए थे : एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा और दूसरा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल कपड़ा उद्योग में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण औद्योगिक कर्मचारियों में यह रोग कम हो रहा है। 1972-73 में प्रति-एक हजार कर्मचारियों में से 251.5 कर्मचारियों को यह रोग हुआ था जबकि 1974-75 में यह संख्या 249.7 थी और बीमा शुदा सदस्यों के परिवारों के सदस्यों में 260.7 व्यक्तियों को 1972-73 में यह रोग हुआ था और 1974-75 में प्रति-एक हजार कर्मचारियों में से 224 को यह रोग हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि इस रोग से कम व्यक्ति ग्रसित हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का निष्कर्ष यह है कि फेफड़ों की बीमारी जिसका नाम बायोसाइनसिस है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक है।

SHRI JAGANNATH MISHRA : In his reply he has stated that ICMF has been asked to take steps to control this disease. I want to know the steps taken by them and their effects on the victims ?

विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने हाल ही में इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन को सलाह दी है। इसका मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि काटन मिल्स फैडरेशन का ध्यान इस ओर दिलाया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार तुरन्त यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकती कि कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय इन मिलों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा क्यों नहीं अपनाए जाते ? हाल ही में मैं कुछ मिलों में गयी थी और जब मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की तो मुझे बताया गया कि उनके पास धन नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जहां सरकार को स्वयं तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इस मामले पर अपने सीमित वित्तीय संसधनों के सन्दर्भ में विचार करेंगे।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : जहां तक उनके उत्तर का सम्बन्ध है, सभी जानते हैं कि कपड़ा मजदूरों को न केवल ब्रोंकाइटिस हो जाता है बल्कि क्षयरोग भी हो जाता है क्योंकि रुई सांस के साथ उनके अन्दर चली जाती है। इस सम्बन्ध में अनुसंधान क्यों नहीं किया जाता और उन श्रमिकों को मास्क या ऐसी कोई चीज क्यों नहीं दी जाती ताकि रूई उनके शरीर में न जा सके। केवल बीमा योजना ही काफी नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में इन कपड़ा मजदूरों के जीवन की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने के बारे में सोच रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सुझाव सराहनीय है। जो उपाय किये जाने चाहियें उनमें से एक यह है कि विभिन्न एककों में वायु निकालने वाले पंखे होने चाहियें और बहुमुखी

'ब्लो-रूम' के स्थान पर एकलमुखी 'ब्लो-रूम' होने चाहियें और वातानुकूलित कक्षों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी योजना का प्रचार

*715. **श्री बी० वी० नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और कारीगरों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी योजना का पर्याप्त प्रचार किया गया है और यदि हां, तो प्रचार का माध्यम क्या है ;

(ख) क्या चुने गये प्रचार के माध्यम ऐसे हैं जिनसे उपरोक्त वर्ग के लोगों को, जो मुख्यतया अशिक्षित और अर्ध शिक्षित श्रेणी में आते हैं जानकारी मिल सकेगी ; और

(ग) छोटे ऋणियों को शिक्षित करने के लिये क्या अन्य ठोस उपाय किये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और कारीगरों का वित्त पोषण करने की अपनी विभिन्न योजनाओं का उचित और प्रभावकारी प्रचार करने के अपने प्रयासों में, ग्राहकों के अशिक्षित और अर्ध-शिक्षित वर्ग की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, क्षेत्रीय भाषाओं के स्थानीय दैनिक पत्रों में विज्ञापन, लीफलेटों का वितरण, पोस्टरों का प्रदर्शन, विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्ज), थियेटरों और गांवों में स्लाइडों और फिल्मों का प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, मेलों, कठपुतली के तमाशों और वाणिज्यिक प्रसारणों आदि में भाग लेने तथा उनका आयोजन करने जैसे उचित दृश्य और भव्य माध्यमों को, अपनाया जा रहा है। छोटे ऋणकर्त्ताओं को शिक्षित करने तथा उनकी सहायता करने के अन्य ठोस उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) बैंक द्वारा तैयार की गई विभिन्न ऋण योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातों को क्षेत्रीय भाषाओं में शिल्पियों और कारीगरों को समझाने के लिए बैंक के फील्ड कर्मचारी ऐसे गावों का दौरा करते हैं जहां शिल्पी और कारीगर अधिक संख्या में बसे हुए हैं।

(2) उद्योग निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हस्तकला बोर्डों, ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों, जिला कृषि अधिकारियों, ब्लाक विकास अधिकारियों आदि जैसे सरकारी अभिकरण भी विभिन्न ऋण योजनाओं सम्बन्धी सूचना का प्रसार करने में सहायता करते हैं।

(3) ऋण के आवेदन पत्रों को भरते समय, अग्रिम मंजूर करते समय और पैसा वितरित करते समय बैंक अधिकारी ब्याज-दर, वापसी की अवधि आदि जैसी

शर्तों और निबन्धनों के बारे में ऋण लेने वाले को बताते हैं। मशीनों, औजार, कच्चा माल प्राप्त करने तथा माल की बिक्री करने में भी बैंक ऋणकर्त्ता की यथा सम्भव सहायता करते हैं।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने प्रचार माध्यमों की एक सूची दी है। उसमें पूरा ब्यौरा है। मैं जानना चाहता हूं कि छोटे व्यापारी शिल्पी और कारीगर कितना ऋण ले सकते हैं। और उनसे किस प्रकार की जमानत मांगी जाती है। छोटे ऋणियों के बारे में प्रचार बहुत नगण्य है। क्योंकि जब ये लोग बैंक में ऋण लेने जाते है तो उन्हें ऋण नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आवेदनों की तुलना में स्वीकृति का अनुपात क्या है। प्राप्त होने वाले कुल आवेदनों में से कितने के मामले में स्वीकृति दी गई है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : प्रश्न में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और कारीगरों को ऋण देने के लिये प्रचार योजनाओं की बात पूछी गई है। इन लोगों को सहायता देने का प्रश्न बिलकुल भिन्न है। मूल प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है कि क्या इन वर्गों के लोगों तक प्रचार के माध्यमों ......

अध्यक्ष महोदय : भाग (ग) छोटे ऋणियों को शिक्षित करने के बारे में है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस वर्ग के लोगों को सहायता देने के मामले से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : हमें देखना है कि वस्तुस्थिति क्या है। यह प्रचार कहां तक प्रभावी है? इसका हमें तभी पता लगता है जब ऋण लेने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसकी अनुपात की जानकारी बहुत संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री बी० वी० नायक : यह एक संगत प्रश्न है। हम इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि बैंकों को धर्मार्थ संस्थाएं मानकर उनसे दान दिया जाने लगे। हम चाहते हैं कि ऋण दिया जायें और उसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ना चाहिये और ऋणों की वसूली की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि बैंक स्टाफ की दक्षता को जानने के लिये और बड़े बड़े ऋणियों की तुलना में छोटे ऋणियों को प्राथमिकता देने में प्रचार सम्बंधित है अथवा नहीं?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक छोटे ऋणियों को सहायता देने का प्रश्न है मैंने यहां पर चालू सत्र में 6 बार आंकड़े दिये हैं। प्रश्न का सम्बन्ध प्रचार के प्रभाव से है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रचार का प्रभाव हुआ है और लाभान्वित होने वालों की संख्या बढ़ रही है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जी हां। इसका प्रभाव हुआ है। मैं मानता हूं कि अभी भी अन्तर है। प्रचार के प्रश्न के साथ-साथ संसाधनों की स्थिति की बात भी है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छोटे-छोटे गांवों में बड़ी संख्या में बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंक अधिकारी

गांवों में लोगों के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे लोग आकर ऋण प्राप्त करें। क्या गांवों में इस प्रकार का प्रचार हो रहा है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग गांवों में जायें और लोगों को उनकी सुविधा के लिये बनायी गई योजनाओं के बारे में बतायें।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मंत्री ने प्रश्न का शाब्दिक अर्थ लिया है। प्रश्न यह था कि क्या प्रचार से आवेदन कर्त्ताओं पर प्रभाव पड़ा है। इसलिये यह प्रश्न संगत प्रश्न है। कितने लोगों ने दर्खास्तें दी हैं और क्या ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रभावी प्रचार उपायों के प्रश्न का एक भाग है। माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैं इसकी जानकारी बाद में दे सकता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : परिवार नियोजन के प्रचार का जहां तक सम्बन्ध है आजकल सभी लोग शिक्षित और अशिक्षित--इसके बारे में जानते हैं। क्या मंत्रालय ने बैंकों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग अथवा अन्य विभागों की सहायता से कोई सर्वेक्षण कराया है ताकि यह पता चल सके कि छोटे कारीगर और शिल्पी इन योजनाओं के बारे क्या जानते हैं ? दूसरे क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन कारीगरों और शिल्पियों के लिये कितनी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और कितनी ऐसी योजनाओं का प्रचार किया गया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि मैंने पहले कहा है ठीक-ठीक आंकड़ों के लिये मुझे अलग नोटिस चाहिये। परन्तु मैं कह सकता हूं कि हम श्रव्य-दृश्य उपायों से काफी प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और उनमें से कुछ विवरण में दिये गये हैं।

इसका प्रभाव हो रहा है क्योंकि अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और बैंक वाले भी अधिक संख्या में कारीगरों और शिल्पियों को सहायता उपलब्ध कर रहे हैं। परन्तु छोटे ऋणियों पर होने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक पता लगाना बहुत कठिन है।

SHRI BIBHUTI MISHRA : Sir, my question is in regard to part (b). Now a days the semi-literate people of villages go to banks, because they are interested in getting some employment. In some banks some good officers give them advice but in others it is not so. I want to know whether instructions have been issued to banks that the customers should be advised as to how they can invest?

I want to know whether the nationalised banks and particularly the State bank have been given instructions to ensure that illeterate people, who want to start some work, should be given proper guidance.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक छोटे ऋणियों का सम्बन्ध है हमने पहले ही हिदायतें जारी कर दी हैं कि योजनाओं को क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट किया जाये।

कर्नाटक में आयकर अदा न करने वाले आयकर अपवंचक

*716. **श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कर्नाटक में अनेक आयकर अदा न करने वाले और आयकर अपवंचक फरार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख) : फिलहाल उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री कापि मोहम्मद वल्द श्री कापिर अब्दुल कादिर, कुमटा (उत्तर कनारा, जिला), के मामले में 14.37 लाख रु० की मांग बकाया है। श्री कापि मोहम्मद को, विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत फरार घोषित किया गया है। वह 24 जनवरी 1975 से फरार है।

इस व्यक्ति के मामले में, कर निर्धारण वर्ष 1975-76 का आयकर निर्धारण, एक तरफा तौर पर, जनवरी, 1976 में किया गया था, जिसमें 14.45 लाख रु० की मांग जारी की गयी थी। इसमें से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करने से 8000 रुपये वसूल हुए हैं। मांग की वसूली के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार श्री कापी मोहम्मद फरार है और वह तस्करी का भी अपराधी है। मैं जानना चाहती हूं कि उसकी तस्करी सम्बंधी गतिविधियों का कैसे पता चला है और इस बारे में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? दूसरे मैं जानना चाहती हूं कि क्या 14.37 लाख रुपये के अलावा 14.45 लाख रुपये हैं या 14.37 लाख रुपए की वृद्धि है। उत्तर में यह बात स्पष्ट नहीं है। क्या बकाया कर दो वर्ष के लिए है अथवा यह एक वर्ष के लिये है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक प्रथम भाग का संबंध है मैंने पहले ही बता दिया है कि कापि मोहम्मद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। हमने तस्करी गतिविधि विरोधी कानून के अन्तर्गत उसे बन्दी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह आंकड़े 1975-76 निर्धारण वर्ष के बारे में है। यह बात विवरण में दी गई है। वसूली कानून के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यहां दो आंकड़े दिए हुए हैं। एक में कहा गया है कि 14.37 लाख रुपए की मांग बकाया है और दूसरे आंकड़े के अनुसार 14.45 लाख रुपए हैं। क्या यह वर्ष 1975-76 के लिए है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जी हां। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं :

> "कर निर्धारण वर्ष 1975-76 का आयकर निर्धारण एक तरफा तौर पर जनवरी, 1976 में किया गया था जिसमें 14.45 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसमें से 8000 रुपए की वसूली कर ली गई हैं।"

यदि 14.45 लाख रु० में से 8000 रुपए घटा दिए जाएं तो 14.37 लाख शेष बचते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इस समय कापि मोहम्मद फरार है। मैं जानना चाहती हूं कि उसकी समक्ष सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक सम्पत्तियों के जब्त करने का सम्बन्ध है माननीय सदस्य जानते हैं कि संसद द्वारा पारित अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं और कार्यवाही की जाती है।

सामान्य कानून के अन्तर्गत कारबार जिले के चीफ रेज़िडेंशियल मेजिस्ट्रेट ने फरार व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क कर ली है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वह कितने मूल्य की है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : 2.25 लाख रुपए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : हाजी मस्तान जैसे अनेक कुख्यात तस्कर बंगलौर में पकड़ा गया है या वे कर्नाटक से फरार हैं। क्या कारण है कि बंगलौर ऐसे लोगों की गतिविधि का अड्डा बन गया है। क्या वहां पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग या स्थानीय प्रशासन ठीक प्रकार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि वहां पर हीं बहुत से लोग पकड़े जाते हैं या वहां से फरार हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि ऐसी चीज फिर न हों। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यदि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जिन के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारक अधिनियम के अधीन आदेश जारी किए गए हों तो हम उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में से फरार होने वाले 25 व्यक्तियों में से 21 पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अब तो केवल 4 ही भागे हुए हैं।

केरल में 'क्रम्ब' रबड़ के कारखाने चालू करने का प्रस्ताव

*717. **श्री वरके जार्ज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में 'क्रम्ब' रबड़ के कारखाने चालू करने का कोई प्रस्ताव है?

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने प्रस्तावित कारखानों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ख) : जी हां।

(ग) मामले पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले विश्व बैंक के मूल्यांकन मिशन के भारत सरकार के साथ आगे बातचीत करने के लिए शीघ्र भारत आने की आशा है।

श्री वीरके जार्ज : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल में पहले ही आधा दर्जन क्रम्बे रबड़ के कारखाने हैं, परन्तु वे अपने उत्पाद इस कारण से नहीं बेच

पा रहे हैं, क्योंकि टायर निर्माता इस विशेष प्रकार की रबड़ नहीं लेते और यदि हैं तो क्या सरकार इस प्रकार की रबड़ तथा अन्य प्रकार की रबड़ जो फालतू है, निर्यात के लिए उत्पादकों से मांग करने पर विचार करेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : संक्षेप में इसी समस्या के कारण सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य व्यापार निगम रबड़ की खरीद करे और राज्य व्यापार निगम ने 2,000 मीटरी टन रबड़ खरीदी है। इस का निर्यात किया जाएगा।

श्री वीरके जार्ज : इस बात के होते हुए भी कि राज्य व्यापार निगम् लगभग 2,000 मीटरी टन रबड़ का निर्यात कर रहा है, क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि केरल में रबड़ उत्पादकों को गत वर्ष की तुलना में केवल आधा मूल्य मिल रहा है और इस का कारण यह है कि राज्य व्यापार निगम उत्पादकों से सीधी खरीद करने की बजाए एक अभिकरण के माध्यम से रबड़ की खरीद कर रहा है? रबड़ विपणन संघ जो कि एक बिचौलिये का काम कर रहा है उत्पादकों से रबड़ खरीद कर और उसे राज्य व्यापार निगम को बेच कर लाभ कमा रहा है। राज्य व्यापार निगम उत्पादकों से सीधी खरीद क्यों नहीं करता, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस समय रबड़ का चालू मूल्य लगभग 630 रुपए प्रतिक्विंटल है। यह गत वर्ष के मूल्य से आधा नहीं है, परन्तु गत वर्ष के मूल्य की तुलना में काफी कम जरूर है। इस कारण असंतोष है।

यह तथ्य है कि राज्य व्यापार निगम रबड़ विपणन सहकारी समिति से खरीद करता है, क्योंकि यह छोटे उत्पादकों का संगठन है और प्रत्येक व्यक्ति से खरीद करने की बजाय सहकारी संगठनों से खरीद करना आसान है।

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना यह है कि वे काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विपणन संघ के मुनाफे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु राज्य व्यापार निगम को इस सौदे में निश्चित रूप से घाटा हो रहा है।

सोमानी ब्रादर्स की फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

*718. **डा० सरदीश राय** : क्या वित्त मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में 30 जनवरी 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 333 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमानी ब्रादर्स की हरियाणा तथा अन्य स्थानों पर स्थित सिरामिक कम्पनियों के विरुद्ध तथा कम्पनी के चैयरमैन एवं अन्य निदेशकों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के कथित उल्लंघन के बारे में सरकार को प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं; तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

डा० सरदीश राय : मंत्री महोदय ने बताया है कि जांच पूरी हो गई है। यदि ऐसा है तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा उन निष्कर्षों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : निष्कर्षों के संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय ने श्री हल्दिया से, जो इस कम्पनी के भूतपूर्व प्रबन्धक थे, सम्बन्ध स्थापित किया था तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शिकायत भेजने से इन्कार किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया गया हो।

दूसरे, इस आधार पर. एक अन्य शिकायत श्री भार्गवा द्वारा की गई थी। परन्तु पूर्ण प्रयास किए जाने के बावजूद भी श्री भार्गव का पता नहीं लग सका।

इसलिए उस शिकायत के स्पष्ट रूप से खंडन किए जाने तथा कोई जानकारी उपलब्ध न होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि कोई ऐसी प्रमाणिक जानकारी नहीं है जिसके आधार पर आगे कार्यवाही की जा सके।

जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों का सम्बन्ध है हम ने अन्य अभिकरणों से भी जांच करने का प्रयत्न किया था क्योंकि हमें ज्ञात है कि माननीय सदस्य इस प्रकार के प्रश्नों में रुचि रखते हैं। मैं कह सकती हूं कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने जिनसे पूछताछ की गई थी कहा है कि पहली शिकायत प्राप्त होने के बाद 1974 के अन्त तक इन लोगों के विरुद्ध कोई बात नहीं पाई गई और जहां तक सीमा शुल्क का सम्बन्ध है विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भी इस कम्पनी के विरुद्ध कुछ नहीं मिला। अन्त में यह मामला निरीक्षण के लिए भेजा गया था और निरीक्षण में भी कोई उनके विरुद्ध कोई बात नहीं पाई गई क्योंकि सभी वस्तुओं को आयात और निर्यात तथा उनकी खपत को सही ढंग से पुस्तकों में दिखाया गया है। इसलिए उन शिकायतों को सिद्ध नहीं किया जा सका तथा उन आरोपो के आधार पर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

डा० सरदीश राय : गत वर्ष बहादुर गढ़ में इस कम्पनी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे किसी रूप में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन अथवा तस्करी की गतिविधियों से संबंधित थे? सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं? क्या वे इस कम्पनी से सम्बन्धित थे?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस कम्पनी के कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं किए गये हैं। पहले पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भी इस बात से इन्कार किया गया था। इस बात को देखते हुए अन्य प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह सच है कि जांच के दौरान तथा जांच आरम्भ होने से पहले सी सोमानी हिन्दुस्तान सेनीटरी वर्क्स की कुछ फाइलें तथा दस्तावेज गुम हो गए थे तथा यह बताया गया था कि वे उपलब्ध नहीं है और उन्हें जांच कर्ताधिकारी को नहीं दिखाया गया था, क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियम आदि के उल्लंघन के इन बड़े मामलों में यह पग उठाती है कि जांच पूरी होने तक पारपत्र जब्त कर लिया जाए? क्या

सब मामलों में ऐसा किया जाता है अथवा नहीं? जहां तक सोमनानी का सम्बन्ध है क्या जांच की अवधि के दौरान पारपत्र जब्त किया गया था ? इन लोगों की अन्य देशों में शाखायें होती हैं तथा वे जांच की अवधि के दौरान अन्य देशों में अपने हम पेशा लोगों से इस तरह से बातचीत करते हैं कि सरकार का उद्देश्य विफलत हो जाए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह हमारी जानकारी में नहीं है कि फाइलें उपलब्ध थीं अथवा नहीं। दूसरी शिकायत के आधार पर जिसकी जांच मार्च 1976 में की गई थी पता चला था कि उनमें से कुछ फाइलें विक्रय-कर विभाग के पास थीं। सही स्थिति जानने के लिए हमने वे फाइलें प्राप्त की थीं। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर उत्पन्न नहीं होता।

कृषि विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

*724. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए सभी ऋण सशर्त हैं;

(ख) क्या उनमें कोई ऋण बिना शर्त के है; और

(ग) ऋणों के किसी विशेष योजनाओं से जोड़े बिना दिये जाने में विश्व बैंक को क्या आपत्तियां हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : विश्व बैंक समूह के ऋणों में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हम किसी विशेष स्रोत देश से ही उपकरण प्राप्त करें। लेकिन बैंक अधिकतर मामलों में विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ही धन दिया करता है। कृषि के क्षेत्र में भी, विश्व बैंक समूह की सहायता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए होती है, हालांकि बैंक में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के लिए 750 लाख डालर का एक ऋण उपलब्ध किया है।

श्री बी० वी० नायक : विश्व बैंक समूह के ऋणों में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि किसी विशेष स्रोत देश से ही उपकरण प्राप्त करें। इस सीमा तक स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देता है कि ऋण के साथ कोई शर्तें नहीं लगी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुर्निर्माण तथा विकास बैंक को पूंजीवादी देश—अमरीका तथा पश्चिमी देशों का बैंक नहीं समझा जाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऋण मंजूर करने की समूची प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है कि हम जो परियोजनाएं आरम्भ करते हैं कि उनकी मशीनों, तकनीकी जानकारी अथा पूंजीगत उपकरणों की सप्लाई उन देशों से जुड़ जाती है जिनमें विश्व बैंक की दिलचस्पी है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उदाहरण सरकार की जानकारी में आए हैं तथा क्या विश्व बैंक ऐसी ही परि-योजनाओं को चुनता है, जो उसी गुट के पक्ष में हों, जिसे वह चाहता है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मैं समझती हूं कि इन प्रश्न का उत्तर दो पहलुओं से देना होगा। वह स्वयं इस बात को मानते हैं कि किसी सीमा तक यह ऋण बिना शर्त के हैं और हम यह मानते हैं कि यह विश्व बैंक के सदस्य देशों पर निर्भर है, उन पर

किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई जाती। विश्व बैंक के लगभग 125 सदस्य हैं। वहां बोली देने की खुली अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है तथा वे आपस में भी बोली दे सकते हैं। इस के अतिरिक्त वह बोली देना ऋण लेने वाले देश पर निर्भर है और जहां तक भारत का मामला है, अधिकांश मामलों में हमारे बोलीदाताओं को ऋण प्राप्त किया है। इस लिए हम पर किसी विशेष देश के पक्ष में कोई शर्त नहीं थोपी गई है।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय के इस कथन के बावजूद कि विश्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम को बिना शर्त 750 लाख डालर का ऋण दिया है हमने यह देखा है कि डेरी विकास, लघु सिंचाई आदि की विश्व बैंक द्वारा चुनी गई विभिन्न योजनाओं में विश्व बैंक ने देश के विभिन्न विभागों में ही पक्षपात किया है। उस ने कुछ क्षेत्रों तथा राज्यों को पसन्द किया है, जब कि कुछ क्षेत्रों तथा राज्यों को पसन्द नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन ऋणों को बिना शर्त के ऋण कैसे बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरे शब्दों में वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडेय : समाज के कमजोर वर्गों के भूमि देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चम्बल घाट की भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। विश्व बैंक से धन देने का अनुरोध किया गया था तथा विश्व बैंक ने काफी राशि नियत की थी। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि नियत की गई तथा उस क्षेत्र को भूमि योग्य बनाने के लिए क्या किया गया है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, यह एक विशिष्ट प्रश्न है इस के लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान दो दिन पहले के 'इकानोमिक टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विश्व बैंक आन्ध्र प्रदेश में नई योजनाओं के अधीन कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ऋण सशर्त है अथवा उक्त क्षेत्र के विकास के लिए दिया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उनका आशय नागार्जुन सागर कमांड क्षेत्र से है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, नागार्जुन सागर परियोजना के लिए 1450 लाख डालर का ऋण दिया गया है। यह आई०डी०ए० ऋण की भांति आसान नहीं है, परन्तु विश्व बैंक के ऋण की शांति महंगा नहीं है।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार समझौता

*726. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री की नई दिल्ली के हाल की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मंत्री जी बताएंगे कि क्या नेपाल में भारतीय राजदूत श्री रासगोत्रा ने नेपाल के विदेश सचिव श्री उद्दव देव भट और वाणिज्य और उद्योग मंत्री डा० हरका बहादुर गुरंग के साथ 29 अप्रैल को काठमांडु में दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन सन्धि के बारे में चर्चा की है जैसा कि बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 'इण्डियन नेशन' में समाचार दिया है? यदि हां, तो यह व्यापार और परिवहन सन्धि क्या है इस चर्चा के क्या परिणाम निकले?

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले नए समझौते के बारे में पूछा जिसका उत्तर दिया गया 'नहीं'। अब आप वर्तमान व्यापार और परिवहन समझौते के बारे पूछ रहे हैं। यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं। भारत और नेपाल के बीच इस समय कौन-कौन से व्यापारिक समझौते हुए हैं। इस बारे में नवीन प्रगति क्या हुई है और क्या नेपाल को भेजा जाने वाला माल चीन में नहीं भेज दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : प्रकाशित दस्तावेजों में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप उन्हें देखिए।

राष्ट्रीयकृत तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्तियां

*728. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आस्तियां कितनी हैं और वर्ष 1975 में इन बैंकों ने कितना लाभ अर्जित किया ; और

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियां कितनी हैं और वर्ष 1975 में उन्होंने कितना लाभ अर्जित किया ?

राजस्व और बैंकिंग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) : 31 दिसम्बर, 1975 के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल परिसम्पत्तियों तथा 1975 वर्ष के उनके अर्जित तथा प्रकाशित लाभ के बारे में सूचना अभी तक सरकार को उपलब्ध नहीं हुई है क्योंकि अधिकांश बैंकों के मामले में लेखा-परिक्षित लेखे सम्बन्धित बोर्डों की स्वीकृत के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

फिर भी, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक समूह और विदेशी बैंकों सहित निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल सम्पत्तियों और प्रकाशित लाभों के, उनके 31-12-1974 को समाप्त वर्ष के प्रकाशित लेखों के आधार पर आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

बैंक	कुल परिसंपत्ति	प्रकाशित समग्र लाभ
(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक :		
(1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	9111.00	22.98
(2) भारतीय स्टेट बैंक	3642.47	4.61
(3) भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी	898.33	0.62
(ख) निजी क्षेत्र के बैंक :		
(1) अनुसूचित बैंक जिनमें		
(क) भारतीय	1419.98	3.10
(ख) विदेशी	1210.50	6.29
(2) गैर अनुसूचित बैंक : . . .	24.18	0.08

टिप्पणी:— विभिन्न बैंकों की कुल परिसम्पत्तियों के संदर्भ में उनके प्रकाशित लाभों की पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती। प्रकाशित लाभ का हिसाब लगाने की प्रथा एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न है; कुछ बैंक प्रकाशित लाभ निकालने के पहिले बोनस/अनुग्रह (एक्सग्रेशिया) धन के लिए लिए व्यवस्था करते हैं। और कुछ बैंक प्रतिशत लाभ में से बोनस/अनुग्रह धन का विनिधान करते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विवरण से स्पष्ट है कि गैर सरकारी क्षेत्र में विदेशी बैंकों ने हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों यहां तक कि अराष्ट्रीयकृत अनुसूचित भारतीय बैंकों की तुलना में अपनी कुल आस्तियों के अनुपात में काफी अधिक लाभ कमाया है। आंकड़ों से पता चलता है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों के लाभ की दर यदि अधिक नहीं तो दुगुनी अवश्य है। इसका क्या रहस्य है?

श्री एच० एम० पटेल : अधिक कार्यकुशल प्रबन्ध व्यवस्था।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक किसी बैंक के लाभ और उसकी आस्तियों का सम्बन्ध है, उसका हिसाब अलग-अलग बैंक अलग-अलग तरह से लगाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बैंक बोनस और अनुग्रहपूर्ण अदायगी को लाभ में शामिल करते हैं और कुछ नहीं करते। सम्भवतया माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि हाल ही में अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीकरण किये जाने से एक बहुत बड़ी राशि, जो अधिकांशतया राष्ट्रीयकृत बैंकों की ही थी, बट्टे खाते में डालनी पड़ी। लेकिन यह कहा जा सकता है

कि 1973 के बाद से बैंकों की आय और व्यय में वृद्धि हुई है और उसी अनुपात से लाभ की राशि में भी बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि यह वृद्धि कुल आस्तियों के अनुपात से नहीं हुई है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अफसोस है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल आस्तियां 9,111 करोड़ रुपये हैं और उनके प्रकाशित लाभ 22.98 करोड़ रुपये के हैं। यह अनुपात 1 से 415 का बैठता है। इसी प्रकार से स्टेट बैंक के लाभ का अनुपात 1 से 800 का बैठता है। इन आंकड़ों में कुछ फेर-बदल हो सकता है। इसके मुकाबले में विदेशी बैंकों के अनुपात का लाभ 1 से 200 का बैठता है। यह बैंक दुगुना लाभ कमा रहे हैं। बोनस या महंगाई भत्ते आदि के आंकड़े गिना कर मंत्री जी इस विषय को नहीं टाल सकते। इसमें अवश्य कुछ रहस्य है। मुझे उसी की जानकारी चाहिये।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ऐसा कोई रहस्य नहीं। जो भी है वह मैं पहले बता चुका हूं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5,500 नई शाखाएं खोली हैं जबकि विदेशी बैंकों ने एक भी शाखा नहीं खोली। वे अपने निर्धारित क्षेत्रों में ही काम करते हैं। उनके अपने ग्राहक हैं। कोई भी बैंक नई शाखा खोलने के तुरन्त बाद लाभ नहीं कमाने लग जाता। इन सब के बावजूद 1973-74 और 1974-75 के मुकाबले में लाभ बढ़ रहा है। हालांकि यह वृद्धि कुल आस्तियों के अनुपात से उतनी नहीं हुई है जितनी कि विदेशी बैंकों ने की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने स्पष्टीकरण चाहा था। गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित भारतीय बैंकों की आस्तियां 1,419.98 करोड़ रुपये की हैं। और उनका लाभ 3.10 करोड़ रुपये है। आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिम्मा उनके ऊपर नहीं है। पर प्रश्न यह है कि हमारे भारतीय बैंक विदेशी बैंकों जितना लाभ क्यों नहीं कमाते। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि व्यय वहन करने के अतिरिक्त ब्याज की रियायती दरों और ब्याज की भिन्न दरों पर ऋण देने, योजना की वित्तपूर्ति, ब्याज की कम दरों पर प्रतिभूतियों में निवेश करने का अधिकांश कार्य भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है। कुल बैंककारी कार्यों का 85 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र में ही होता है। इसलिए उन बैंकों की लाभकारिता से तुलना नहीं की जा सकती जो केवल चुनिन्दा क्षेत्रों में ही कार्यरत हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Operation of Private air Services

*711. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to allow operation of private air services and if so, from which date;

(b) the reasons for providing this facility to private operators; and

(c) the particulars of private air services and the routes on which these services will be introduced and its impact on Government operated air services?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) and (b) Recently, applications were invited by the Director General of Civil Aviation from interested parties to operate air services on nine routes which Indian Airlines do not operate at present. Indian Airlines are unable to operate air services on these routes due to increase tin cost of operations as a result of hike in price of aviation fuel and their tight fleet position.

(c) A statement giving the required information is placed on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-10805/76.]

रेयन यार्न के निर्यात पर रोक समाप्त करना

*712. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेयन यार्न के निर्यात पर लगी रोक को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों से ऐसा विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कत्तिनों एवं बुनकरों की केन्द्रीय समिति की सिफारिशों पर सीमित मात्रा में विसकोस फिलामेंट यार्न (रेयन यार्न) का तदर्थ आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) उपरोक्त सीमित निर्यात की अनुमति घरेलू बाजार में मांग की कमी के कारण तथा संस्थापित क्षमता के पूरे-पूरे उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है ।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण

*719. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्यों को इस साल अप्रैल में ऋण मंजूर किये हैं ;

(ख) क्या उक्त सहायता में विदेशी मुद्रा शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 10806/76]।

कपड़े पर नियंत्रण समाप्त करने का प्रस्ताव

*720. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कपड़े पर नियंत्रण समाप्त करने के बारे में अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की योजना को कम से कम अस्थायी रूप में आस्थगित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) सरकार कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की योजना को समाप्त करने या आस्थगित करने के लिए सहमत नहीं हुई है ।

भारत में जाली यात्री-चैकों का परिचालन

*721. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में बहुत से जाली यात्री-चैकों का परिचालन हो रहा है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा ऐसे मामलों का पता लगाया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे जाली यात्री (ट्रैवलर) चैकों के परिचालन में होने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है । लेकिन, 1975 में, भारत में विभिन्न बैंकों द्वारा भुगतान किये गये यात्री-चैकों के 11 मामलों के विषय में आदेशिती (ड्रायी) बैंकों से बाद में यह सूचना मिली कि ये चैक "चुराये गये या खोये गये" हैं अथवा "इनके हस्ताक्षर नहीं मिलते" हैं, और इन मामलों में से छः में सम्बन्धित बैंकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है ।

गुजरात में पर्यटन केन्द्रों का विकास

*722. **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री आरविंद एम० पटेल } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ और अधिक स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) साधनों पर लगे प्रतिबंधों तथा पर्यटन विभाग के योजनागत परिव्यय में कमी करने के कारण, गुजरात में केवल चौथी योजना से चली आ रही स्कीमों को ही पूरा करने के लिए हाथ में लिया गया है । पोरबंदर में 10.93 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पर्यटक बंगले के निर्माण-कार्य के शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है । गांधीनगर में 4.7 लाख रुपए की लागत से एक युवा होस्टल पूरा हो चुका है । गिर वन्य जीव शरण-स्थल पर 13.11 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक फारेस्टलॉज का निर्माण कार्य चालू है और उसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है ।

पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित नयी स्कीमें में हैं : अहमदाबाद में 2.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक शिविर स्थल, अहमदाबाद में 75.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक मोटल तथा अहमदाबाद में 3 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक परिवहन यूनिट । इन स्कीमों को निधियां उपलब्ध होने तथा व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने की स्थिति में हीं हाथ में लिया जाएगा ।

पर्यटन विभाग द्वारा वन्य जन्तुओं को देखने के लिए गिर वन्य जीव शरण-स्थल पर एक मिनी बस की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

दार्जिलिंग चाय उद्योग को राहत

*723. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दार्जिलिंग चाय उद्योग की अर्थक्षमता में तेजी से गिरावट आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को देखते हुए कि दार्जिलिंग चाय को शुल्क में पर्याप्त राहत नहीं दी गई है सरकार का विचार इस उद्योग को पुनः सुदृढ़ करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख) सरकार चाय उद्योग की आवश्यकताओं से पूरी तरह से अवगत है जिसमें दार्जिलिंग का चाय उद्योग की शामिल है तथा समुचित राहत देने के प्रश्न पर निरन्तर पुर्नविचार होता रहता है।

रबड़ का ले जाया जाना

*725. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रबड़ के ले जाये जाने पर बातचीत करने के लिये मोटरगाड़ियों के टायरों के निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उनको किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मोटर गाड़ियों के टायर बनाने वालों से कहा गया था कि वे प्राकृतिक रबड़ की अपनी खरीद और स्टाक स्तर में वृद्धि करें ;

(ग) विनिर्माताओं ने अपनी खरीद में वृद्धि कर दी है और मार्च 1976 में अपने स्टाक स्तर को बढ़ाकर 5 सप्ताह की आवश्यकताओं के बराबर कर दिया है जबकि अक्तूबर 1975 में उनके पास 3 सप्ताह का स्टाक था।

ग्लाईडर फलाईंग क्लबें

*727. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में ग्लाईडर फ्लाईंग क्लब है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक में एक एक ग्लाईडर फलाईंग क्लब की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) नई फ्लाईंग क्लबों की स्थापना करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। ये पहलु ये हैं : (क) विमानन ईंधन के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप विमानों के परिचालन की लागत में अत्यधिक वृद्धि, (ख) वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंसधारियों की बेरोजगारी, (ग) क्लबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में सरकार पर आर्थिक प्रतिबन्ध। इन परिस्थितियों में सरकार सामान्यतया नई क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं करती।

2. राज्यों की राजधानियों समेत देश के किसी भी भाग में ग्लाइडिंग क्लब की स्थापना पर विचार स्थानीय उत्साह, तकनीकी व्यवहार्यता तथा निधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है।

कोयले का निर्यात

*729. **श्री एन० ई० होरो :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में कोयले का आयात करते हैं ; और

(ख) इन देशों को कोयले का निर्यात करने में भारत किस हद तक मुख्य निर्यात-कर्ता देश है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) बंगलादेश, बर्मा तथा नेपाल भारत से कोयले के बल्क आयातक हैं। कोयले की उनकी लगभग सभी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं।

इंडोनेशिया से कपड़ा बनाने की मशीनों के निर्यात आदेश

*730. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया से बड़े पैमाने पर कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह आदेश कितने मूल्य के हैं ;

(ख) क्या इस आदेश के संविदे पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, यदि हां, तो इस संविदे की पार्टियों के क्या नाम हैं भुगतान की शर्तें क्या हैं तथा कपड़ा बनाने की मशीनों की सुपुर्दगी की अवधि क्या है ; और

(ग) क्या आस्थगित ऋण के लिये आवश्यक बैंक गारंटी ले ली गई है और यदि हां, तो यह गारंटी किस ने दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हल्दिया का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3496. **श्री शंकर नारायणसिंह देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में हल्दिया का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) क्या वहां कोई पर्यटन होटल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) हल्दिया का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने अथवा वहां एक होटल स्थापित करने की केन्द्रीय क्षेत्र में फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

मेवे के बाजार में मंदी

3597. **श्री भाऊसाहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के मेवे के बाजारों में भारी मंदी आई है ;

(ख) यदि हां, तो बाजार मूल्यों में भारी गिरावट के क्या करण हैं ; और

(ग) क्या बाजार की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम अब भी व्यापार के साथ हाल ही में हुए 52 लाख रुपये के सौदे के माध्यम से सेबों का आयात करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । मेवे की घरेलू कीमतों में केवल मामूली सी गिरावट आई है ।

(ख) इस मामूली सी गिरावट का कारण यह है कि यह मेवों की खपत का मौसम नहीं है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम मेवों का आयात करती रहेगी ।

बम्बई से आस्ट्रेलिया तक एयर इंडिया की जम्बो सेवा

3498. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया.ने आस्ट्रेलिया तक नई जम्बो सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई जम्बो सेवा बरास्ता कलकत्ता आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । एयर इन्डिया ने 29 मार्च, 1976 से आस्ट्रेलिया के लिये एक सप्ताह में दो बार की बोइंग 747 सेवा चालू की है ।

(ख) जी, नहीं ।

Chit Fund Companies Functioning in Madhya Pradesh

3499. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the number of chit fund companies functioning in Madhya Pradesh at present and the number and names of those closed during the last three years;

(b) the amount deposited by the people in those companies and whether the same has been refunded to them; and

(c) the number of chit fund companies which have not so far refunded to the people the amount deposited with them?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) to (c) Reserve Bank of India has

reported that according to its records there are 27 chit fund companies functioning in Madhya Pradesh and that exact particulars of the companies, closed during the last three years, are not available with them. However, having received a report that Sunita Chit & Finance Private Ltd., Indore, a company defaulting in the submission of returns to Reserve Bank, had closed its business, Reserve Bank has referred the matter to the State Government and the Reserve Bank has been advised that the police are investigating into the matter. In respect of a recent complaint received by it about the closing of the business of Triumphant Chit Fund Ltd., Jabalpore, Reserve Bank is enquiring into it.

Reserve Bank has also reported that the particulars of deposits with the closed companies are not available with them.

सहकारी और उचित दर की दुकानों को मोटे कपड़े के स्टाक देना

3500. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में बिक्री के लिए दिए गए मोटे कपड़े और उसकी वास्तविक मांग के बीच कितना अन्तर था ; और

(ख) चालू वर्ष में देश में मांग की पूर्ति के लिए सहकारिताओं और उचित दर दुकानों को मोटे कपड़े के पर्याप्त स्टाक देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ऐसा ज्ञात होता है कि कन्ट्रोल के कपड़े से अभिप्राय है जिसके उत्पादन का उद्देश्य काफी हद तक जनता के कमजोर वर्गों की कपड़े की जरूरतें पूरी करना है । इन वर्गों की कपड़े की जरूरतें कन्ट्रोल वाली किस्मों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि खपत पैटर्न में अन्य उत्पाद, यथा कृत्रिम रेशम वस्त्र, मिश्रित वस्त्र तथा हौजरी का सामान भी शामिल है । फिर भी वर्ष 1974-75 में, 80 करोड़ वर्ग मीटर के उत्पादन स्तर के मुकाबले, कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन 80.3 करोड़ वर्ग मीटर के स्तर तक पहुंच गया । जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है उत्पादन के विद्यमान स्तर जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं—कन्ट्रोल के कपड़े की कुल मिलाकर प्राप्यता के बारे में कोई शिकायत नहीं है ।

Export of Mangoes

3501 SHRI G. C. DIXIT : will be MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) the quantity of mangoes exported from India in 1975-76 ;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby ;

(c) the names of the countries to which export there of was made ; and

(d) whether the quantity exported was in excess of the requirements of the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWAS NATH PRATAP SINGH : (a) and (b) : According to provisional figures, 3847 tonnes of mangoes value at Rs. 159 lakhs were exported during the 11 months April 75—February 76.

(c) Mainly to Bahrein Island, Dubai, Kuwait, Muscat, Qatar, Singapur and U. K.

(d) Yes, Sir.

जीवन बीमा निगम द्वारा, पालिसीधारियों को मंजूर किए गए आवास ऋण

3502. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान पालीसीधारियों को कोई आवास ऋण मंजूर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऋण के रूप में वर्षवार अलग-अलग कितनी धनराशि मंजूर की गई और जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राज्यों और दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के कितने-कितने व्यक्तियों को मंजूर की गई ; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी बंधक योजनाओं अर्थात्, अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना, अलग-अलग कर्मचारी आवासन और कर्मचारी सहकारी आवासन योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने के प्रयोजन से स्वीकृति किए गए ऋणों की संख्या तथा रकमें नीचे दिए अनुसार हैं :—

(लाख रु० में)

राज्य का नाम	1972–73		1973–74		1974–75	
	ऋणों की संख्या	रकम	ऋणों की संख्या	रकम	ऋणों की संख्या	रकम
जम्मू तथा कश्मीर	5	0.97	6	1.06	15	3.99
हिमाचल प्रदेश	1	0.10	—	—	1	0.15
पंजाब	75	22.95	47	16.57	91	30.13
हरियाणा	42	11.69	29	7.26	31	9.58
दिल्ली	146	61.96	118	59.61	292	115.31
चंडीगढ़	23	6.52	11	3.70	36	12.70
जोड़	292	104.19	211	88.20	466	171.86

(ग) आवासन ऋणों के लिए अलग से रकम निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि आवासन ऋणों की, जिन्हें किसी भी वित्तीय वर्ष में पालिसीधारियों को मंजूर किया जाता है, कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है ।

कन्ट्रोल का कपड़ा बेचने के कार्य में विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव

3503. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने उत्पादों को आम आदमी के घरों तक पहुंचाने के कार्य में विद्यार्थियों को शामिल करने की एक निश्चित योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न केन्द्रों पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के विपणन अधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि वे निगम की खुदरा दुकानों के पास पड़ोस में शैक्षिक संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करें जिससे कि वे "शिक्षा के साथ-साथ कमाइए" योजना में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रायोजित करा सकें ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डा

3504. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रस्तावित परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ताकि वहां बोइंग-707 विमान सुरक्षापूर्वक उतर सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) धावनपथ का 8000 तक विस्तार करने एवं एप्रन को मजबूत करने (केवल कंक्रीट का कार्य) और टैक्सी ट्रैक को चौड़ा करने (केवल कंक्रीट का कार्य) का कार्य जनवरी 1976 में आरम्भ किया गया था तथा उसकी प्रगति जारी है । वर्तमान धावनपथ तथा टैक्सी ट्रैक को मज़बूत करने (तारकोल बिछाने) के कार्य को शीघ्र ही हाथ में लिया जाएगा ।

मिलों के पास पड़ा पटसन स्टाक

3505. **श्री समर गुहा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 के अन्त में पटसन मिलों के पास पटसन का कितना स्टाक पड़ा था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : दिसम्बर 1975 के अन्त में भारत स्थित पटसन मिलों में पड़े हुए कच्चे पटसन के स्टाक की मात्रा 18.60 लाख गांठें थीं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में "टेलर" पद्धति

3506. श्री वसन्त साठे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कितने बैंकों ने "टेलर" पद्धति अपना ली है और किस हद तक; और

(ख) नगरीय क्षेत्रों में अधिकाधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में "टेलर" पद्धति अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) नौ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भुगतान के लिए अधिकतर महानगरीय और शहरी स्थानों की 496 शाखाओं में 'टेलर' पद्धति अपनाई है। शेष पांच बैंकों में से, एक बैंक ने अपनी तीन शाखाओं में "स्पाट पेमेन्ट सिस्टम" नामक संशोधित ढंग की सुविधा प्रारम्भ की है; एक अन्य बैंक ने सूचित किया है कि वह अपनी कुछ शाखाओं में "इन्सटैंट पेमेन्ट सिस्टम" प्रारम्भ करना चाहता है; तीसरा बैंक 'टेलर' पद्धति का मूल्यांकन कर रहा है। और बाकी के दो बैंक इसकी शुरूआत करने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

बैंक, टैलर पद्धति को ऐसी शाखाओं में अधिकाधिक रूप से बढ़ा रहे हैं जहां का कार्य-भार इस पद्धति के अनुकूल हो।

Grant of Loans by Nationalised Banks to Backward Classes in Rajasthan

3507. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state the names of the districts in Rajasthan where members of backward classes have so far been granted loans by nationalised banks under the 20-Point economic programme, indicating the nature of loans given to them?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF DEPTT. OF REV. AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : Reserve Bank of India have reported that in the context of the 20-Point Programme, in most of the districts of Rajasthan, the public sector banks have extended assistance to the productive endeavours of the weaker sections of the society, particularly to persons engaged in agriculture and allied activities, to handloom weavers and village artisans. They are also reported to have extended credit to consumer, cooperatives and fair price shops.

चाय के मूल्य

3508. श्री राम भगत पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं और इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय की कीमतों में 1974-75 के मुकाबले 1975-76 में कुछ वृद्धि का रुख दिखाई

दिया है जैसा कि नीलामी से प्राप्त कीमतों के निम्नोक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है :—

वर्ष	कलकत्ता (रु० कि ग्रा०)	कोचीन (रु० किग्रा०)
1974-75 .	10.99	9.71
1975-76 (फरवरी तक)	11.74	10.50

कीमतों में वृद्धि का रुख उर्वरकों, रासायनिक पदार्थों, भट्ठी का तेल, परिवहन तथा श्रमिकों की मजदूरियों जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों की लागतों में वृद्धि के कारण आरम्भ हुआ।

देश में पैकेट चाय के प्रमुख विनिर्माताओं को चाय की खास तौर से उन ब्रांडों की चाय की, जो आम आदमी द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, कीमतों को न बढ़ने देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। अगस्त, 1975 से चाय के सामान्य ब्रांडों की कीमतों में 40 पैसे प्रति किग्रा० की कटौती को भी अभी बनाए रखा जा रहा है।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशों को धन भेजा जाना

3509. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में औद्योगिक क्षेत्र फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और उर्वरक क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कितनी राशि विदेशों को भेजी गई ; और

(ख) ये आंकड़े वर्ष 1972-73 में भेजी गई राशि की तुलना में कम हैं अथवा अधिक ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी मिल जाएगी, उतनी पेश कर दी जाएगी।

महाराष्ट्र की बिजली अथवा सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3511. श्री शंकर राव सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश, विदेशी, बैंक या विदेशी संस्था ने महाराष्ट्र सरकार को उसकी बिजली या सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने में सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों, बैंकों अथवा संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन्होंने कितनी मात्रा में सहायता देने का प्रस्ताव किया है और किन परियोजनाओं के लिए ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

गुजरात पावरलूम एसोसिएशन से अभ्यावेदन

3512. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नए उत्पाद-कर लगाए जाने के कारण उत्पन्न परेशानियों के बारे में गुजरात पावरलूम एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संसद् द्वारा वित्त विधेयक, 1976 के स्वीकृत किए जाने के समय ही सरकार की अन्तिम प्रतिक्रियाएं मालूम होंगी ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

3513. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात से गत वर्ष राजस्व की कम मात्रा में प्राप्ति हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । 1975-76 के दौरान 19.66 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है जब कि 1974-75 के दौरान 18.69 करोड़ रु० के निर्यात हुए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Hindi in Examinations Held by Indian Bankers Institute

3514. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Indian Bankers Institute has accorded its approval to the use of Hindi as an alternative medium for the examination held by it;

(b) if so, from which date ; and

(c) the efforts made to make available suitable Hindi text book for various subjects of examination?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REV. & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) to (c) Indian Bankers Institute is an autonomous body registered as a non-profit making company under the Companies Act, 1956. The Institute holds the associate examination twice a year. It also holds certificate examination in 'Co-operation' and 'Industrial finance' once every year. The rules of the institute provide that answer to the questions set at the examinations should be in English only. Requests have been received from some candidates to grant them permission to write their answers in Hindi or in their regional languages. The Council of the institute, after taking all aspects into consideration including the fact that the institute's examination cover the whole of India, came to the conslusion that it would not be possible to accept the proposal for the time being, since suitable text book's covering all

the subjects of the examination are not available either in Hindi or in the Regional languages. The other considerations that weighed with the council were:—

(*i*) it would be difficult to appoint suitable and competent examiners in various subjects possessing adequate knowledge of Hindi or Regional languages for the institute's examinations, which are of a professional character, and to secure uniformity in the marking of the answer books; and

(*ii*) moderation by the Chief Examiners of marked answer books written in Hindi or in Regional languages would be difficult.

The institute has, however, made a beginning in the use of Hindi with the introduction of an optional banking-oriented paper in Hindi. The first examination in this paper was held on June, 1975. The institute intend to hold the examination every year in June. In the institute's view the question of introducing Hindi as the medium of examination in the various subjects of the associate examination will have to be considered in the light of the experience gained as a result of the optional paper and the spread of knowledge of Hindi in non-Hindi speaking areas. It is only after the institute has conducted this examination over a period, that the question of allowing the use of Hindi as an alternative medium for the examinations held by it can be considered.

पांचवीं योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए परिव्यय

3515. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी राशि का परिव्यय रखा गया है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम में केन्द्रीय तथा राज्य योजनाएं शामिल हैं। पांचवीं योजना के प्रारूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 11.80 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हथकरघा उद्योग के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल परिव्ययों का योग 43.52 करोड़ रु० है। इन अनन्तिम परिव्ययों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर संशोधन किया जा सकता है।

2. बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के शामिल किए जाने से केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। वर्ष 1976–77 के दौरान इन योजनाओं के लिए 5 करोड़ रु० के प्रारम्भिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है लेकिन आवश्यकतानुसार और धनराशि भी दी जाएगी बशर्ते कि उपलब्ध हो। केन्द्रीय योजना स्कीमें पांचवीं योजना अवधि के दौरान चालू रहेंगी।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सीधे परिव्यय के अलावा काफी मात्रा में संस्थागत वित्त के जुटाए जाने की आशा है। पांच वर्ष की अवधि के लिए विकास के कार्यक्रम में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल 60 करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था है और 240 करोड़ रु० की अनुपूर्ति संस्थागत स्रोतों से की जाएगी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पांचवीं योजना के मसौदे में रखे गए अस्थायी परिव्ययों को दर्शाने वाला विवरण :—

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	पांचवी योजना के मसौदे में कुल अस्थायी परिव्यय
		(लाख रुपयों में)
1.	तमिलनाडु	1450.00
2.	प० बंगाल	220.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	300.00
4.	जम्मू तथा कश्मीर	21.14
5.	असम	164.43
6.	केरल .	220.00
7.	मध्य प्रदेश	100.00
8.	कर्नाटक	158.70
9.	गुजरात	40.00
10.	राजस्थान	6.50
11.	उत्तर प्रदेश	491.00
12.	पंजाब	20.00
13.	हरियाणा	75.00
14.	बिहार	150.00
15.	उड़ीसा .	83.70
16.	महाराष्ट्र	632.00
17.	मेघालय .	30.00
18.	मणिपुर .	75.00
19.	त्रिपुरा .	17.75
20.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं
21.	नागालैण्ड	कुछ नहीं
22.	दिल्ली .	38.00
23.	अरुणाचल प्रदेश .	18.00
24.	गोआ, दमन तथा दीव	00.60
25.	मिजोरम . . .	25.00
26.	पांडिचेरी . . .	15.00
	योग . . .	4351.82

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋण में संपन्न किसानों का हिस्सा

3516. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिए गए ऋणों का एक बड़ा भाग संपन्न किसानों को मिला है जिन्होंने कुछ धन का उपयोग निर्धन ग्रामीणों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देने के रूप में किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की जोतवार बकाया राशि की सितम्बर, 1974 के अन्त की हाल की ताजा स्थिति निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपयों में)

जोत का आकार	अल्पावधिक ऋण		सावधिक ऋण	
	खातों की संख्या	बकाया ऋण	खातों की संख्या	बकाया ऋण
10 एकड़ तक	10,58,639	113.14	2,86,355	93.14
10 एकड़ से अधिक	1,53,852	63.35	1,67,221	153.53

आंकड़ों के अनुसार अल्पावधिक और सावधिक दोनों प्रकार के ऋणों के मामले में बैंक अग्रिमों का लाभ पाने वालों में उनकी संख्या सब से अधिक है जिनकी जोत 10 एकड़ तक है। ऋण की मात्रा के अनुसार इस वर्ग के किसानों ने अल्पावधिक ऋण भी अधिकतम मात्रा में लिए हैं।

फिर भी, 10 एकड़ से अधिक की जोत वाले किसानों की तुलना में इन किसानों का सावधिक ऋणों का हिस्सा कम है।

कृषि में सावधिक ऋण अपेक्षया, मशीनों, पम्प सेटों, भूमि विकास आदि में धन लगाने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अधिकतर भूमि की बड़ी-बड़ी जोत वाले ही ऐसे ऋणों की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त, ऋण लेने की क्षमता जोत के आकार और आवश्यकता के अनुपात में होती है इसलिए वह भी अपेक्षया अधिक है। छोटी जोत के किसानों की आवश्यकताएं सीमित हैं और इसलिए इस वर्ग के किसानों की मांगें अपेक्षया कम होती हैं।

सरकार के देखने में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है कि धनी किसानों द्वारा लिए गए ऋणों का कुछ अंश ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर आगे ग्रामीण गरीबों को दिया गया हो। वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण के बारे में देख-रेख की ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा ऋण

का अन्तिम उपयोग सुनिश्चित हो जाए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस प्रकार के दुरुपयोग के अवसर कम हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी बहुत से स्टॉप वाली विमान सेवाएं कम करने का प्रस्ताव

3517. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार अपनी बहुत से स्टॉप वाली विमान सेवाएं कम करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) और (ख) परिचालन अनुसूची तैयार करते समय इंडियन एयरलाइंस ग्राहकों की मांग, परिचालन के आर्थिक पक्ष, धारिता की उपलब्धता तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता को ध्यान में रखती है। यद्यपि कारपोरेशन की अपनी बहुत से स्टॉप वाली विमान सेवाओं को पूर्ण रूप से बन्द करने की कोई योजनाएं नहीं हैं, कारपोरेशन की यह कोशिश है कि जिन दो-दो नगरों के बीच विमान सेवा परिचालित की जा रही है; उन पर धारिता आवश्यकता को संभावित यातायात की मांग के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करके अपनी मार्ग संरचना को युक्ति-संगत बनाया जाए ।

हवाई अड्डों पर जमा माल के निपटान में विलम्ब

3518. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात हेतु माल विशेषकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला माल सीमाशुल्क संबंधी निपटान में विलम्ब के कारण पालम हवाई अड्डे तथा अन्य हवाई अड्डों में जमा हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितना टन भार माल को भेजने में विलम्ब हुआ, औसतन कितने दिन माल रुका रहा तथा उसका क्या मूल्य था ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। निर्यात के लिए हवाई अड्डे पर पड़े माल की सीमाशुल्क से निकासी में कोई असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

3519. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों को विशेषकर लघु उद्योगों को दिये गये ऋण की ब्याज दर इतनी अधिक है कि वह उनके स्वस्थ विकास के लिए उचित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई, 1974 से बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर 12.5 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर निश्चित की है। लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये निम्नलिखित वर्गों के ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर का यह निर्देश लागू नहीं होता है और बैंक इन पर ब्याज की कम दर भी वसूल कर सकते हैं :—

(i) रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित ऋण गारंटी योजना में व्याप्त छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को दिये गये ऋण, बशर्ते कि छोटे पैमाने के एकक को किसी एक बैंक द्वारा दी गई ऐसी ऋण सुविधा की सीमा 2 लाख रुपये से अधिक न हो।

(ii) अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रदत्त या व्यवस्थित ऋण या अग्रिम या अन्य वित्तीय सहायता की ब्याज दर जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्धारित और वित्तपोषित ब्याज की उच्चतम दरों से अधिक न हों।

15 मार्च, 1976 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋणों पर ब्याज की अधिकतम दर 16.5 प्रतिशत निर्धारित की है।

इसी प्रकार, 1 अप्रैल 1976 से रिज़र्व बैंक ने उद्योगों को दिए गए 7 वर्ष से अधिक की अवधि के सावधिक ऋणों पर 14 प्रतिशत को अधिकतम ब्याज दर भी निश्चित की है। 3 से 7 वर्षों की अवधि में परिपक्व होने वाले सावधिक ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 15 प्रतिशत तय की गई है।

ब्याज की दरों को विनियमित करने के लिए की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, इन दरों को अत्यधिक नहीं माना जाता है।

कलकत्ता में आभूषण और जेवरों का पकड़ा जाना

3520. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने मार्च, 1976 में कलकत्ते में आभूषण और जेवर पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कितनी कीमत थी;

(ग) क्या मार्च-अप्रैल, 1976 में देश के किसी अन्य भाग में भी इसी प्रकार की धर-पकड़ की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयकर प्राधिकारियों ने मार्च, 1976 में कलकत्ता में 53.9 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण और जवाहरात पकड़े थे।

(ग) तथा (घ) मार्च, 1976 में, देश के अन्य भागों में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य जिसमें जेवर-जवाहरात भी शामिल हैं, 26 लाख रुपये से अधिक था। अप्रैल, 1976 में की गई ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरी सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के जिलों में लघु उद्योगों को ऋण

3521. श्री टुना उरांव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में लघु उद्योगों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :
पश्चिम बंगाल के जिलों में, छोटे पैमाने के उद्योगों के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों के दिसम्बर, 1974 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति-विषयक उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० -10807/76]।

कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य

3522. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के कच्चे माल तथा उससे निर्मित औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों सहित गत वर्ष की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10808/76] जिसमें कुछ चुनी हुई वस्तुओं / वस्तु समूहों के 17 अप्रैल, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताह के हाल के उपलब्ध थोक मूल्य सूचकांकों को 19 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले सप्ताह में इन वस्तुओं / वस्तु समूहों के थोक सूचकांकों के साथ तुलना करते हुए दिखाया गया है।

दिल्ली में आयकर के अपवंचन के बारे में शिकायतें

3524. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1976 के बाद सरकार को दिल्ली में कर अपवंचन के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) क्या सब मामलों में जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) आयकर अपवंचन के सम्बन्ध में शिकायतें, आयकर आयुक्तों, निरीक्षण निदेशक (जांच), केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों के अतिरिक्त काफी संख्या में

आय-कर अधिकारियों और सहायक आयकर आयुक्तों को प्राप्त होती हैं। उन पर यथा अपेक्षित कार्यवाही की जाती है।

1 जनवरी, 1976 के बाद, सभी प्राधिकारियों को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या और जिन मामलों में पूछताछ पूरी कर ली गयी है उनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की सूचना को इकट्ठा करने में अत्याधिक समय लगेगा। जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में अभी पूछताछ चल रही है उनके नामों का रहस्योद्घाटन करने से, पूछताछ के परिणामों पर ही कुप्रभाव पड़ सकता है।

यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/मामलों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

मरकंटाइल कोआपरेटिव बैंक का बन्द होना

3525. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान बैंक एम्पलाइज़ यूनियन ने रिज़र्व बैंक से मांग की है कि मरकंटाइल कोआपरेटिव बैंक के बन्द हो जाने के कारणों की जांच की जाये; और

(ख) क्या उपरोक्त बैंक के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मालूम हुआ है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के कर्मचारियों से, बैंक में कुछ अनियमितताओं के विषय में दो शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के मिलने से पहले ही रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था और बैंक के बारे में एक ऋण स्थगन-आदेश (मोरेटोरियम) जारी होने के बाद इसे **परिसमापन** के अधीन रखा गया था। जैसे ही इस बैंक को ऋणस्थगन आदेश के अधीन लाया गया, उसके तुरन्त बाद ही, रिज़र्व बैंक ने राजस्थान के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया कि वह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 70 (1) के अधीन जांच कराने की व्यवस्था करे ताकि विशेष रूप से, बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई शुरू की जा सके। रिज़र्व बैंक इस मामले में इससे आगे प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं हैं और अब राज्य सरकार को ही यह अधिकार है कि वह जैसा ठीक समझे, वैसी कार्रवाई करे।

Export of Aluminium

3526. SHRI LAKSHMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF COMMERCE be plased to state :

(a) the quantity of aluminium exported to USSR, Spain, Thailand and Indonesia by the Bharat Aluminium Company, Korba during 1975-76, separately;

(b) the quantity of aluminium to be exported to these countries during 1976-77 as per agreement; and

(c) whether aluminium to be exported is in excess of that required for domestic consumption?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Aluminium metal was not exported to USSR, Spain, Thailand and Indonesia by the Bharat Aluminium Company during 1975-76.

(b) No contract is on hand for export of aluminium by Bharat Aluminium Company during 1976-77 to the countries mentioned at (a).

(c) The quantity of Aluminium metal to be exported will be surplus to domestic requirements.

औद्योगिक संयुक्त उद्यमों का अन्य देशों में स्थापित किया जाना

3527. श्री नूरुल हुडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में 'टर्न की' परियोजनाओं और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात और औद्योगिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की क्या सम्भावनाएं हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बारे में अन्य देशों के साथ बातचीत कर रही है ;

(ग) क्या ऐसे उद्यमों के साथ बहु-राष्ट्रिक निगमों अथवा विदेशी पूंजीपतियों को सम्बद्ध किया जाएगा ; और

(घ) क्या किसी अन्य देश के साथ ऐसी परियोजनाओं अथवा औद्योगिक संयुक्त उद्यमों के बारे में कोई व्यापारिक सौदा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) विकासशील देशों में टर्न की परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों की स्थापना और परामर्श सेवाओं के निर्यात के लिये भारी गुंजाइश है । हमारी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की फार्मों द्वारा ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों में सफलता मिल रही है । सरकार इन प्रयत्नों को प्रोत्साहित करती है और परियोजनाओं को कारगर ढंग से सम्पन्न करने/क्रियान्वित करने के लिये सुविधाएं देकर उन्हें सहायता देती है ।

अन्य देशों के साथ द्वि-पक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान साधनों तथा जानकारी को इकट्ठा करके पूल बनाने पर बल दिया जाता है ताकि अन्य देशों में बाजारों का मिल-जुलकर संवर्धन किया जा सके । (हाल ही में एक संयुक्त आयोग की बैठक में यूगोस्लाविया में सोवियत सहायता से स्थापित किये जाने जाने वाली परियोजना के लिये भारत द्वारा इलक्ट्रोलाइसर बकेट की सप्लाई के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ करार किया गया है)।

अन्य देशों में स्थापित किये जाने वाले संयुक्त उद्यमों में विदेशी राष्ट्रिकों के साथ भागीदारी पर मेज़बान देश की विदेशी निवेश-नीतियां लागू होती हैं ।

Supply of Yarn to Weavers and Purchase of Cloth produced by them

3528. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether crores of weavers of the country generally remain out of work on account of short supply of yarn ;

(b) whether any proposal to supply them yarn in time is under consideration;

(c) whether keeping in view the acute problem of the weavers any instructions have been given to the State Governments also; and

(d) whether Government have also chalked out a plan regarding the marketing of the cloth produced by weavers and if so, the main features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) No, Sir.

(b) to (d) The supply position of yarn is at present generally satisfactory. Due to the weak financial position of weavers, there may be difficulty at times in their getting their requirements of yarn. In the case of Weavers Cooperative Societies, the supply of yarn and marketing of finished product is normally undertaken by the Societies. Steps are, therefore, being taken to consolidate and expand the cooperative coverage.

While no special instructions have been issued to State Governments, in the Intensive Development Projects and Export Production Centres which are being set up under the 20-Point Economic Programme as Central Plan Schemes, provision has been made for creation of Raw Material Bank for timely and regular supply of yarn to weavers. In these projects, the marketing of the cloth will also be undertaken.

कोयले के लिये विदेशी मंडियों का उपयोग करने हेतु व्यापार विशेषज्ञता की अनुमति

3529. श्री राम सहाय पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र कोल मर्चेन्ट्स एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से विदेशी मंडियों का उपयोग करने के लिये व्यापार विशेषज्ञता के बारे में अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Cess on Textile Mills

3530. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) the income accrued during 1975-76 from the cess levied on textile mills; and

(b) the agencies through which this amount was utilized for the development of Textile Industry ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) and (b) Government has not levied and collected any cess during 1975-76 for the development of textile industry. However, cess is being collected by the Textiles Committee on textiles and textile machinery for the purposes of carrying out its functions prescribed under the Textiles Committee's Act, 1963.

गोहाटी में सेन्ट्रल रेस्ट हाउस का निर्माण

3531. **श्री नूरुल हुडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी (आसाम) में सर्किट हाउस के निकटतम प्रस्तावित सेन्ट्रल रेस्ट हाउस जिसके लिए आसाम राज्य सरकार को लगभग 8 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई थी, बनकर तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के कारण क्या हैं और इसके किस तारीख तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रायोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब ठेकेदार के साथ हुए विवाद के कारण हुआ है जो अभी भी चल रहा है। राज्य सरकार अब उक्त स्थल पर एक 50 कमरों वाले मोटल का निर्माण करने की संभावना पर विचार कर रही है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है ।

प्लाईवुड का निर्यात

3532. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष समूचे देश से तथा केवल आसाम राज्य से अलग-अलग प्लाईवुड का कितना निर्यात किया गया तथा इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) गत वर्ष रुपयों में कुल कितने मूल्य के प्लाईवुड का निर्यात किय गया ;

(ग) प्लाईवुड निर्माताओं से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, और

(घ) क्या सरकार ने प्लाईवुड निर्माताओं को राजसहायता दी है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान प्लाईवुड के निर्यात की मात्रा तथा उससे कमाई गई विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

	मात्रा (लाख कि० ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपये में)
1974-75	195.9	683.00
1975-76 (अप्रैल-नवम्बर)	38.2	160.00

आसाम के बारे में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) निर्यातों पर मिलने वाले सामान्य प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

Opening of Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

3533. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state whether Government have any scheme to open branches of nationalised banks in those areas in Madhya Pradesh which are largely inhabited by Harijans and Adivasis?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : The commercial banks have been advised that while drawing up their branch expansion plans they should devote greater attention to the needs of underbanked areas including the tribal belts, adivasi areas etc. Reserve Bank of India have reported that as at the end of December, 1975, commercial banks, including those in the publice sector, had fifty-two licences/allotments pending with them for opening new offices in twenty-four districts of Madhya Pradesh where harijan & adivasi population exceeded 2 lacs. Further, in terms of their branch expansion plans for 1976, banks are being allowed to open forty three more branches in these districts by the Reserve Bank of India.

Shortage of Cotton

3534. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is acute shortage of cotton in the country at present and if so, the present production of cotton in the country.

(b) the quantity of cotton imported from abroad during the last three years and what was the difference between the prices of indigenous and imported cotton; and

(c) whether Government have any scheme to boost the production of cotton in the country keeping in view its consumption in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Production figures of cotton for the current cotton season are not yet available.

(b) The quantity of cotton imported from abroad during the last three years is as under:—

Financial year	Quantity in '000 bales of 180 kgs. each.
1972-73	626·0
1973-74	317·9
1974-75	76·5

Information about difference between the prices of indigenous and imported cotton is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Efforts are being made to increase the production of cotton in the country.

अलकोलाइड फैक्ट्री, निमच

3535. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निमच (मध्य प्रदेश) स्थित अलकोलाइड फैक्ट्री में अलकोलाइड का उत्पादन कब से आरंभ हुआ और इस समय यहां कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है ;

(ख) इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या भविष्य में इस फैक्ट्री के विस्तार की भी कोई योजना है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) एल्कलायड कारखाना, नीमच वर्तमान में परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है और नियमित उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ख) कारखाने की एक पारी में तैयार एल्कलायड और उनके लवणों की वार्षिक उत्पादन क्षमता का अनुमान नीचे दिये अनुसार लगाया गया है :—

कोडीन फास्फेट	4860 किलोग्राम
कोडीन बी० पी०	1000 किलोग्राम
नार्कोटीन .	2400 किलोग्राम
मारफीन हाइड्रोक्लोराइड .	225 किलोग्राम
मारफीन सल्फेट	225 किलोग्राम

(ग) भविष्य में कारखाने के विस्तार के लिये इस समय किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

Export of Jute and Jute Products

3536. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) wether any scheme to promote Jute trade in the country has been formulated and if so, the main features thereof :

(b) the names of the countries to which jute and jute products are exported at present and the amount of foreign exchange earned therefrom during the last one year ; and

(c) whether our country is self sufficient in jute production?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) For ensuring a fair deal to the growers of raw jute, Jute Corporation of India has been set up and its infra-structure is being progressively strengthened. Facilities for grading, bailing and marketing are also being augmented.

(b) Jute and jute products are being exported to a very large number of countries including U.K., U.S.A., U.S.S.R., Belgium, Canada, Australia, Argentina, New Zealand, Cechoslovakia etc. Foreign exchange earnings from export of raw jute and jute goods have been as follows:—

S. No.	Item	Period	F.E. earnings (Rs. in lakhs)
1.	Raw Jute	1975-76 (April-March)	869·06
2.	Jute goods	1975-76 (April-December)	18638·31

(c) By and large, our country is self-sufficient in raw jute production. In a short-crop year raw jute production may be less than the requirements of jute mills.

Replacement of Octroi Duty by Sales Tax

+3537. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Central Government has issued a circular to the effect that the octroi duty realised by the State Governments in the cities be discontinued and instead the sales tax be increased there; and

(b) whether the Madhya Pradesh Government have initiated action in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REV. & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) No, Sir. However, the question of abolition of octroi and its substitution by other levy is being pursued by the Ministry of Transport & Shipping.

(b) Yes, Sir. Government of Madhya Pradesh has referred an Ordinance, which seeks to levy tax on entry of goods in a local area in place of octroi duty levied by municipal bodies in

the State, for approval of the President under Article 213(1) of the Constitution. This proposal is under examination. In the meantime, from newspaper reports, it appears that Government of Madhya Pradesh has promulgated four Ordinances which seek to replace octroi duty by other alternative sources of revenue, full details of which have not so far been received from the State Government.

Export of Indian Liquor

3538. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Indian liquor is exported ;

(b) if so, to which countries and the quantity exported as also the foreign exchange earned therefrom during the last year; and

(c) the varieties of liquor exported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir. The export consists mainly of Indian Made Foreign Liquor and Beer.

(b) Exported mainly to Canada, Aden, Dubai, Kuwait, and Abu Dhabi. According to the provisional figures available for the year 1975-76, a quantity of over 71,000 litres valued at about Rs. 6·09 lakhs was exported during that year.

(c) Rum, Beer and Coconut Feny.

चमड़ा परिष्करण मशीनरी के आयात को उदार बनाना

3539. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के दल ने, जिसने हाल ही में भारत की यात्रा की थी, सरकार को सुझाव दिया है कि चमड़ा परिष्करण मशीनरी के आयात को उदार बनाया जाये ;

(ख) क्या स्वदेशी 'लैदर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसियेशन' ने इस सुझाव का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) आयात प्रयोजन के लिए चमड़ा मशीनों की सूची दिनांक 11-1-1975 के इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन में प्रकाशित की गई थी जिससे यदि किसी ऐसी वस्तु का स्वदेश में विनिर्माण हो रहा है तो स्वदेशी विनिर्माताओं को अभ्यावेदन करने का अवसर प्राप्त हो सके। मशीन विनिर्माताओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया था। ऐसी ही एक सूची 24 जनवरी, 1976 के इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन में भी प्रकाशित की गई थी। आवश्यक विचार करने के पश्चात् चमड़ा मशीनों की एक सूची खुले सामान्य लाईसेंसों के अन्तर्गत रखी गई है ताकि निर्यात प्रयोजनों के लिए चमड़ा उद्योग को मशीनें बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध हो सकें।

Assistance from World Bank

3540. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF FINANCE be plased to state:

(a) the total amount of assistance received from the World Bank during the last three years for various projects in Indore and Hoshangabad divisions of Madyha Pradesh; and

(b) the progress so far made in respect of those projects for which assistance has been received?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) & (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to Madhya Pradesh Agricultural Credit Project and Madhya Pradesh Dairy Development Project being financed by the World Bank Group. Under the Madhya Pradesh Agricultural Credit Project an amount of Rs. 682·29 lakhs and Rs. 90·09 lakhs has been drawn from the World Bank Group for Indore and Hoshangabad Divisions respectively. Disbursement under Madhya Pradesh Dairy Development Project is likely to commence during the current financial year.

Seizure of Smuggled Goods in Madhya Pradesh

3541. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether smuggled goods were seized in Madhya Pradesh after the proclamation of emergency in the country;

(b) if so, the value of the goods seized;

(c) the number of big business houses from where these were recovered; and

(d) the total number of cases disposed of so far ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) In addition to a small amount of foreign currency and Indian currency amounting to Rs. 1,23,809/- smuggled goods valued at Rupees 27,74,323/- were seized in Madhya Pradesh.

(c) Nil.

(d) The number of cases disposed of so far is five.

'शार्ट हॉल' जेट विमान का चयन

3542. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'शार्ट हॉल' जेट विमान के चयन पर बहुत दिनों से निर्णय नहीं लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस फिलहाल ऐसे विभिन्न प्रकार के 'शार्ट हॉल' जेट विमानों का अध्ययन कर रही है जिन्हें उनके विमान बेड़े में शामिल किया जा सके। कारपोरेशन निर्माताओं से वित्तीय शर्तों की प्रतीक्षा कर रही है। उसके पश्चात्, कारपोरेशन इस संबंध में अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करेगी।

कोचीन हवाई अड्डा

3543. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में नौसैनिक हवाई अड्डे पर वर्तमान धावन-पथ को मजबूत बनाने और उसे 600 फुट तक बढ़ाने के लिए स्थल का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस धावन-पथ का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही आरम्भ किए जाने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि रखी गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) धावन-पथ का पुनः सरेखण, किया जाएगा, उसे उत्तरी दिशा में 600 फुट तक बढ़ाया जाएगा तथा एल० सी० एन० - 40 तक मजबूत किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रायोजना पर 70.05 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

3544. श्री समर गुहा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान पटसन की खरीद के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान पटसन की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम को दी गई धनराशि सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या किसानों से पटसन खरीदने के लिए यह धनराशि पर्याप्त थी और यदि नहीं, तो भारतीय पटसन निगम ने किसानों से पटसन खरीदने की समस्या का किस प्रकार सामना किया?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1976-77 के मौसम के लिए भारतीय पटसन निगम की वसूली नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है क्योंकि बुआई मौसम अभी शुरू हुआ है।

(ख) 1975-76 के मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम को 29.8 करोड़ रुपये तक की धनराशि उपलब्ध थी जिसमें शेयर पूंजी शामिल थी।

(ग) 1975-76 के मौसम में भारतीय पटसन निगम के खरीद कार्यों में धनराशि के अभाव की वजह से रुकावट नहीं आई।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्रियों को सुविधायें

3445. श्री वसंत साठे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधायें अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या आने वाले और जाने वाले यात्रियों के लिए स्वागत कक्षों में जगह बहुत कम है; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्री व्यवस्था सुविधाएं पर्याप्त हैं। तथापि, यातायात की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से, टर्मिनल भवन का हाल ही में विस्तार किया गया है। अधिक भीड़

को कम करने के लिए 1 जनवरी, 1976 से विमानक्षेत्र प्रवेश टिकट प्रणाली चालू की गयी है। एक पृथक् प्रस्थान प्रतीक्षालय (डिपार्चर होल्डिंग एरिया) का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य पूरा हो जाने पर, स्थिति में और सुधार हो जाने की आशा है।

बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा घड़ियों और जेवरात का पकड़ा जाना

3546. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने 15 अप्रैल, 1976 को बम्बई में चेम्बूर में 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की घड़ियां और जेवरात पकड़े थे ;

(ख) क्या ये घड़ियां और जेवरात आपात स्थिति के दौरान या इससे पहले चोरी छिपे लाये गए थे ;

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) विदेशी वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिये सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्ता, कार्यालय, बम्बई की समुद्री तथा निवारक शाखा के अधिकारियों ने 15 अप्रैल, 1976 को चेम्बूर, बम्बई में कलाई घड़ियां, घड़ियों के फालतू पुर्जे, वस्त्र तथा चीनी व दो ट्रक पकड़े जिनका कुल मूल्य 36,65,028.00 रुपये है। कोई जवाहरात नहीं पकड़े गये।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि इन घड़ियों, घड़ियों के पुर्जों और वस्त्रों का भारत में कब तस्कर-आयात किया गया था।

(ग) इस संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आगे जांच पड़ताल जारी है।

(घ) विदेशी वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए निवारक नजरबंदी के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :——

सीमाशुल्क निवारक तंत्र में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और आसानी से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों में बेतार-संचार व्यवस्था सहित उपकरणों की व्यवस्था करके उसे सुदृढ़ किया गया है। समुद्र की व्यापक आधार पर और नियमित गश्त लगाने तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों की जिनके बारे में माल उतारे जाने के स्थलों के होने का संदेह हो, तथा पहुंच मार्गों की जोरदार गश्त करने की व्यवस्था की गई है। गुप्त सूचना को और अच्छी तरह एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए गुप्त-सूचना संगठन को अधिक सक्रिय बना दिया गया है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे, राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय, आयकर, विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय के बीच तथा राज्य सरकारों के साथ और अच्छा समन्वय स्थापित किया गया है।

सरकार जिन अन्य उपायों पर विचार कर रही है उनमें ये उपाय भी सम्मिलित हैं:—— विशेष न्यायालयों का सर्जन, कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गुप्त सूचना तथा जांच-पड़ताल

तंत्र में और सुधार लाना, अधिक सक्रिय पर्यवेक्षण के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षी पदों का बनाना और अधिक जलयानों तथा मोटरगाड़ियों को इस कार्य पर लगाना।

चूंकि तस्करी-विरोधी अभियान एक सतत प्रक्रिया है इसलिए इन विभिन्न उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है।

सामान्य बीमा निगम द्वारा अधिक कमीशन पर एजेंटों का रखा जाना

3547. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान्य बीमा निगम अब भी कमीशन की ऊंची दरों पर एजेंट रख रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) भारत का साधारण बीमा निगम, बीमा एजेन्ट नियोजित नहीं करता। इसकी केवल चार सहायक कम्पनियां ही साधारण बीमा कारबार प्राप्त करने और अनुवर्ती सेवा करने के लिये एजेन्ट नियोजित करती हैं। बीमा एजेन्टों को देय कमीशन की दरें, जो पहले बीमा कारबार के अग्नि और विविध श्रेणियों के लिये 15 प्रतिशत और समुद्री बीमा कारबार के लिये 10 प्रतिशत तक सीमित थी, 1-6-1969 से कम करके अग्नि और समुद्री बीमा के लिये 5 प्रतिशत और विविध बीमा कारबार के लिए 10 प्रतिशत कर दी गयीं। यद्यपि साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों पर बीमा अधिनियम की धारा 40(क) लागू नहीं की गयी है तथापि वे इन अधिकतम दरों का पालन कर रही हैं।

Loans Advanced by Nationalised Banks for Small Scale and Cottage Industries in Ujjain, Dewas and Shajapur Districts of Madhya Pradesh

3548. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the number of persons who were advanced loans by the nationalised banks in Ujjain, Dewas and Shajapur Districts of Madhya Pradesh during the years 1973 to 1975 for small scale and cottage industries and the minimum and the maximum amount of such loans; and

(b) the number of persons who have lready repaid their loans but have not been given loans second time together with the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) Available information regarding advances of scheduled commercial banks as a whole to small scale industry in the districts of Ujjain, Dewas and Shajapur in Madhya Pradesh, is set out below:—

(Amt. in thousands of Rs.)

As on the last Friday of	Ujjain		Dewas		Shajapur	
	No. of accounts	Amt.	No. of accounts	Amt.	No. of accounts	Amt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dec. 1972 . . .	247	35,81	98	21,26	61	2,52
Dec. 1973 . . .	431	66,23	132	26,69	85	2,42
Dec. 1974 . . .	563	121,05	152	81,09	128	5,97

While no rigid minimum and maximum limits are pres cribed by the banks for loans to small scale and cottage industry, public sector banks endeavour to extend need-based assistance to such projects/proposals.

(b) The Statistical reporting system does not provide for compilation of this information. However, whenever such cases are brought to the notice of the Government or the Reserve Bank of India, these are investigated.

Tea Plantations

3549. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) the number and names of tea plantations in the country which are running in loss; and

(b) the amount of loans taken by each of these tea plantations from different financial institutions and whether the amount of loans was not utilised properly by the management of these tea plantations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) No such information is available in regard to all the tea plantation companies in India.

(b) Does not arise.

Panel for appointment of Customs Police

3550. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether a panel was prepared in 1971 in the Central Excise Department, Patna for appointment of Customs Police;

(b) if so, the number of persons included in the panel and the number of them appointed against the above posts; and

(c) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately included therein?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) It is presumed that the reference is to Customs Sepoys. Three panels were prepared for appointment to posts of Sepoys in the Patna Collectorate during the period January-May, 1971.

(b) The total number of persons included in these panels was 236. The number of vacancies available were only 118. Appointment letters were issued to 104 persons out of which 91 joined.

(c) Appointment letters were issued to 21 Scheduled Caste and 8 Scheduled Tribe candidates out of whom 20 and 7 respectively joined.

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए यूनाइटिड किंगडम से अनुदान

3551. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दिये जाने वाले 30 लाख पौंड के अनुदान के प्रति यूनाइटिड किंगडम की सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जी नहीं।

कारीपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

3552. श्री ए० के० गोपालन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने कालीकट के समीप कारीपुर में एक हवाई अड्डे के निर्माण हेतु एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था और उसे योजना आयोग के पास भेज दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ग) क्या योजना ग्रायोग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है ग्रौर यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिए कितनी निधि ग्रावंटित की गई है ; ग्रौर

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। एक प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी ग्रौर योजना ग्रायोग को जून 1972 में भेज दी गई थी।

(ख) प्रस्ताव निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में था :—

(i) 4500′ × 150′ रनवे

(ii) 525′ × 50′ टैक्सी ट्रैक

(iii) 375′ × 150′ एप्रन

(iv) एक टर्मिनल भवन

(v) एक कंट्रोल टावर।

(ग) ग्रौर (घ) योजना ग्रायोग ने परामर्श दिया था कि प्रायोजना पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विचार किया जाये । परन्तु विमानन ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप परिचालन लागत के बढ़ जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस को ग्रपनी योजनाग्रों का पुनरीक्षण करना पड़ा तथा उन्होंने ग्रनुभव किया कि वे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कालीकट के लिये सेवा परिचालित करने में ग्रसमर्थ रहेंगे । तथापि यदि साधन उपलब्ध हुए तो फिलहाल ग्रनुसूचित परिचालनों के लिये एक हवाई ग्रड्डे के निर्माण के प्रस्ताव पर ग्रागे कार्रवाई करने का विचार है।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर का प्रबन्ध

3553. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर के प्रबन्धक ग्रपने कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें स्थाई रूप से तभी खपाया जायेगा जब वे बैंक में कम से कम तीन लाख रुपये की राशि जमा करवाने की व्यवस्था करेंगे ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड त्रिचूर ग्रपने प्रशिक्षणार्थियों को यथा सम्भव जमायें जुटाने के लिए प्रचार करने के वास्ते प्रोत्साहित कर रहा है । प्रशिक्षणार्थियों के रूप में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों से ग्राशा की जाती है कि वे जमायें जुटान सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में ग्रनुभव प्राप्त करें। जमायें जटाने की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिये प्रशिक्षण की ग्रवधि में, प्रचार करके 3 लाख रूपये की जमा जुटाने का मानक तय किया गया है। कुछ मामलों में बैंक ने प्रशिक्षण-ग्रवधि को भी बढ़ा दिया ताकि उम्मीदवारों को यह मानक पूरा करने का समय मिल सके। लेकिन उम्मीदवारों की नियमित रूप

से नियुक्ति में बैंक द्वारा इस शर्त का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने 3 लाख रुपये से कम की जमायें जुटायी थीं, उन्हें भी नियमित रूप से नियुक्त कर लिया गया है। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि उसने जमायें जुटाने के कार्य में कमी रह जाने आधार पर किसी भी प्रशिक्षणार्थी को नहीं निकाला है।

भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले से अवगत है और वह इसके लिये समुचित कार्रवाही कर रहा है।

कोचीन हवाई अड्डा

3554. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन हवाई अड्डे के धावन-पथ को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने का काम केरल राज्य निर्माण निगम को सौंपने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

आयातित औषधियों पर राज्य व्यापार निगम को लाभ

3555. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम से आयातित औषधियों पर लाभ में कमी करने के लिए अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1 अप्रैल, 1976 से आयातित औषधियों पर सेवा लाभ को, जो लागत, बीमा, भाड़ा सहित लागत पर 5 प्रतिशत था, घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निवेश

3557. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सरकारी क्षेत्र द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अपनी पत्रिका के अक्तूबर 1975/जनवरी 1976

अंक में यह सुझाव दिया था कि अब समय आ गया है कि 1976-77 की वार्षिक आयोजना में पूंजी-निवेश में भारी वृद्धि की जाए और इसकी पहल सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाए। सरकार का भी यह मत है कि खाद्य सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशि की स्थिति को देखते हुए 1976-77 में निवेश-परिव्यय में भारी वृद्धि की जा सकती है, और तदनुसार इस वर्ष के वार्षिक आयोजना परिव्यय को बढ़ा कर 7,852 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो पिछले वर्ष के आयोजना परिव्यय से 31.6 प्रतिशत अधिक है।

निर्यात किए जाने वाले विलायक निकालने के उद्योग में संकट

3558. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जाने वाले विलायक (साल्वेन्ट) निकालने वाले उद्योग की स्थिति खराब है और मूंगफली के तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ जाने के कारण उसे गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग की आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में मूंगफली निस्सारणों का टन-भार और कीमत बताते हुए वर्ष 1976-77 के दौरान अनुमानतः कितना निर्यात होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) मूंगफली के तेल की घरेलू कीमतें गिर जाने से मूंगफली की खली के विलायक निस्सारण प्रोसैसिंग का लाभ कम हो गया है। इसका विलायक निस्सारण उद्योग पर असर पड़ा है जहाँ मूंगफली की खली साधित खली का बड़ा हिस्सा बैठती है।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा मूंगफली के लिए कीमत समर्थन कार्य और मूंगफली के भंडारों के आधार पर दी जाने वाली पेशगियों के सम्बन्ध में ढील के अलावा मूंगफली निस्सारणों, विनौला निस्सारणों और तेल रहित चावल की भूसी के निर्यातों पर भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राज्य व्यापार निगम द्वारा भी मूंगफली के तेल की थोड़ी सी मात्रा के निर्यात प्राधिकृत किए गए हैं।

(ग) 1976-77 में मूंगफली निस्सारणों के निर्यात करीब 7 लाख मे० टन होने की संभावना है जिनका मूल्य लगभग 55.60 करोड़ रुपये होगा, जबकि पिछले वर्ष वास्तविक निर्यात 6.75 लाख मे० टन हुए थे जिनका मूल्य 55 करोड़ रुपये था।

Imports of Books

3559. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state :

(a) the number of books imported in the country during the last three years, year-wise; and

(b) country-wise value of the books imported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : (a) & (b) Data maintained gives information about quantity in

terms of weight and not in terms of numbers. A statement showing country-wise imports of printed books and Pamphlets etc. and children's picture and painting books during the years 1972-73 to 1975-76 (upto July 1975) is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-10809/76]

Loan to Weavers by Banks in Bihar

†3560. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether the weavers in Bihar are harassed in the matter of getting loans from the banks;

(b) whether the weavers of Bihar Sharif in District Nalanda have sent to him a representation ; and

(c) if so, the action taken by Government to remove their grievances ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF DEPTT. OF REVENUE & BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) ; (a) No specific complaint regarding harassment of weavers by banks has come to the notice of Government.

(b) No representation from Bihar Sharif appears to have been received by Government.

(c) Question does not arise.

चीनी के निर्यात में प्रवृत्ति

3561. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार के अनुमान के अनुसार चीनी के निर्यात के संबंध में वर्तमान प्रवृति आने वाले वर्षों में भी बनी रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे इस अनुमान को बल मिलता है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी के लिए विश्व मांग में वृद्धि का रुख दिखाई दिया है तथा विश्व बैंक और खाद्य व कृषि संगठन द्वारा किये गए पुर्वानुमानों के अनुसार इसमें और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

रुई का निर्यात

3562. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 की फसलों से कितनी और कितने मूल्य की रुई का निर्यात किया गया; और

(ख) इसमें से छोटे, मध्यम तथा लम्बे रेशे की रूई के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1974-75 के रूई मौसम की लम्बे रेशे की रूई की 2.15 लाख गांठें तथा 1973-74 के रूई मौसम की

मीडियम रेशे की 30,000 गांठें 31-8-1976 तक निर्यात के लिए 1975 में रिलीज की गई थीं। 22-4-1976 तक वास्तविक निर्यात निम्नोक्त सीमा तक हुए :—

किस्म	मात्रा लाख गांठों में	मूल्य करोड़ रुपयों में
लम्बे रेशे की .	1.448	23.31
मीडियम रेशे की .	0.1676	2.59
छोटे रेशे की . .	1.07	उपलब्ध नहीं है
(सितम्बर 1974 से अगस्त 1975 तक)		
(सितम्बर 1975 से 4 मार्च, 1976 तक) . .	0.80	उपलब्ध नहीं है

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा गैर सरकारी कारोबारियों को दिए गए कार्य

3563. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों की तुलना में गैर-सरकारी व्यवसायियों तथा ठेकेदारों को आयात तथा निर्यात के, पृथक-पृथक, दिये गये कार्यों की मूल्यानुसार प्रतिशतता क्या है ;

(ख) तीन वर्षों के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े बताते हुए कुल व्यापार में प्रतिवर्ष निजी व्यापार के भाग की प्रतिशतता घट रही है या बढ़ रही है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कार्यों को गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यवसायियों से कराने में क्या औचित्य है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम व्यापारिक संगठन हैं। आयात/निर्यात सौदों में अपने कार्य निष्पादन के लिए ये संगठन क्वालिटी नियंत्रण, भाण्डागारों, नौवहन, बैंकिंग तथा बीमा, क्लीयरिंग तथा हैंडलिंग, परिवहन और वितरण के क्षेत्र में सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषीकृत सेवाओं का उपयोग करते हैं। उन सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है जो सरकारी क्षेत्र, अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, भारतीय नौवहन निगम आदि में उपलब्ध हैं। निर्यातों के लिए विभिन्न प्रकार के माल की प्राप्ति आम तौर पर गैर-सरकारी तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों तथा साथ ही केन्द्रीय और राज्यों के सरकारी उपक्रमों में उपलब्ध स्रोतों से की जाती है। इसका हिसाब लगाना संभव नहीं है कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपने व्यापारिक कार्यों में उपयोग में लाई गई प्राइवेट व्यापारियों और ठेकेदारों की सेवाओं की यथामूल्य प्रतिशतता क्या है।

कम लागत पर सामूहिक भारत दर्शन यात्रा की योजना

3564. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्टीय एकता की भावना विकसित करने तथा रचनात्मक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न मध्य वर्ग के लोगों को कम लागत की सामूहिक भारत दर्शन यात्रा के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु न हानि–न लाभ आधार पर कोई विशिष्ट निगम स्थापित किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग प्रत्यक्ष रूप से किसी सामूहिक (पैकेज) यात्रा का आयोजन नहीं करता है। परन्तु, रेल मंत्रालय रेल यात्रा के लिए कई रियायतें प्रदान करता है जैसे विद्यार्थी रियायत, अध्यापक रियायत, किसानों, औद्योगिक श्रमिकों, कलाकारों, खिलाड़ियों के लिए रियायत सर्कुलर यात्रा टिकटें, पर्वतीय रियायत, आदि। इन रियायतों से संबंधित ब्यौरे "इंडियन रेलवे कांफ्रेंस कन्सेशन कोचिंग टैरिफ नं० 22–भाग I (खंड II)" में उपलब्ध हैं।

हवाई पट्टियों का निर्माण

3565. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम खर्च वाली हवाई-पट्टियों का निर्माण आरम्भ करने का है ताकि गैर-सरकारी विमान-सेवा संचालक गैर-सरकारी क्षेत्र के मार्गों पर संचालन कर सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जहां कहीं भी नए मार्ग उचित हों, वहां गैर-सरकारी विमान कम्पनियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के हवाई अड्डों को वाणिज्यिक अथवा न लाभ-न हानि के आधार पर बनाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारी विमानक्षेत्रों से अन्य विमानक्षेत्रों के निर्माण तथा लाइसेंस प्रदान करने के कार्य वायुयान नियम, 1937 के तत्सम्बद्ध नियमों द्वारा शासित होते हैं, जिनका उद्धरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०-10810/76]।

निजी परिचालकों द्वारा किसी भी मार्ग पर विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन वर्तमान महंगाई से सम्बद्ध करना

3566. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को सेना कर्मचारियों की तरह विद्यमान महंगाई से सम्बद्ध करने का सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) का 12 महीने का औसत 200 अंकों से ऊपर 16 अंक बढ़ जाए तो 1-1-73 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के 5 प्रतिशत की दर पर राहत दी जानी चाहिये, जो प्रतिमाह कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपए हो। इस सिफारिश को देखते हुए सरकार ने सभी केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को, जिन में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, क्रमश: 1-8-73, 1-1-74 और 1-4-1974 से राहत की तीन किश्तों की मंजूरी दी थी। उसके बाद उपलब्ध साधन-स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए, जीवन-निर्वाह की लागत में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकारी पेंशन भोगियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए उनको 1-10-75 से पेंशन के 10 प्रतिशत तक तदर्थ आधार पर और आगे राहत दी है जोकि प्रतिमाह कम से कम 10 रुपए और अधिक से अधिक 50 रुपए है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों की पेंशनें, जीवन-निर्वाह की लागत में वृद्धि के साथ यथासम्भव संबद्ध हैं।

केलों का निर्यात

3567. श्री डी० के० पण्डा
श्री राम सहाय पांडे
श्री गंगा चरण दीक्षित
श्री बसन्त साठे
: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान मध्य पूर्व तथा खाड़ी के देशों को कितने मूल्य के केलों का निर्यात किया गया ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिये उनका निर्यात लक्ष्य क्या है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 41.30 लाख रुपये।

(ख) 120 लाख रुपये मूल्य के 5,000 में टन।

कल्चरल पेपर पर उत्पादन शुल्क

3568. श्री जी० के० पंडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कल्चरल पेपर पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से उपभोक्ताओं और उत्पादकों को परेशानी हो रही है;

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन मिला है कि बाजार में यह पेपर जमा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1976 के बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में, कागज और गत्ते की विभिन्न श्रेणियों पर उत्पादनशुल्क में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप छपाई और लिखने के कागजों की कतिपय श्रेणियों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है और उत्पादकों और सम्बद्ध व्यापार संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कल्चरल कागजों पर बढ़ाए गये उत्पादन शुल्क पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है क्योंकि बढ़े हुए शुल्क का उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि बाजार में कल्चरल किस्म के कागज की कोई कमी नहीं है और वास्तव में मिलों के सामने माल को बेचने की समस्या है।

(ग) प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेदनों और दिये गये सुझावों की जांच की जा रही है।

गुजरात में पर्यटन-केन्द्र

3569. श्री एन० आर० वेकारिया
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र के पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं?

(ख) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंच वर्षीय योजना में इनका और विकास करने का है; और

(ग) इनके विकास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों का विकास राज्यवार अथवा स्थानवार आधार पर नहीं किया जाता है। विकास के लिए स्थानों का चयन पर्यटकों के लिए उनके वर्तमान अथवा संभावित आकर्षणों, सुगम्यता, पानी व बिजली की सप्लाई जैसे मूल आधारभूत उपादानों आदि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, साधनों पर लगे प्रतिबंधों के कारण, पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक हो गया है। गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली गयी पर्यटन स्कीमें ये हैं :—पोरबंदर में 10.93 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पर्यटक बंगले, गांधीनगर में 4.7 लाख रुपए की लागत से एक युवा होस्टल तथा सस्सनगिर में 13.11 लाख रुपए

की अनुमानित लागत से एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण । युवा होस्टल अब पूरा हो चुका है तथा सस्सनगिर के फॉरेस्ट लॉज और पोरबंदर के पर्यटक बंगले के चालू वित्त वर्ष के दौरान ही चालू कर दिये जाने की संभावना है । पर्यटन विभाग का पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अहमदाबाद में एक शिविर स्थल स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा भारत पर्यटन विकास निगम का व्यवहार्यता अध्ययन तथा निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में अहमदाबाद में एक मोटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पांचवीं योजनावधि के दौरान अहमदाबाद में एक परिवहन यूनिट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । वन्य जीव को देखने के लिए 1976-77 के दौरान गिर वन में एक मिनी बस की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

रूई का आयात

3570. **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान रुई के अयात के लिये कोई समझौते किये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ उक्त समझौते किये गये हैं; और

(ग) किस प्रकार की और कितनी रुई का आयात किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Publication of Forms of L.I.C. in Hindi

3571. SHRI CHIRANJIB JHA: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

The progress made in publishing all the forms of Life Insurance Corporation in *Hindi* along with English ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Upto March, 1976 about 150 forms which are in use in the offices of LIC had been printed both in Hindi along with English. Since then about 40 more forms have been printed in Hindi.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

3572. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**
श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के प्रत्येक राज्य में अब तक कहां-कहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : अप्रैल, 1976 के अंत तक स्थापित किये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राज्य वार स्थान आदि प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी०-10811/76] ।

लद्दाख में पर्यटकों के लिए आवास

3573. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पर्यटन मौसम के लिए पर्यटकों को अतिरिक्त आवास सुविधा प्रदान करने हेतु लद्दाख के चारों ओर पर्वत से घिरे प्रदेश में शिवरों के तीन नगरों की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने लद्दाख को निषिद्ध अथवा सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, और पर्यटकों को वहां जांच के पश्चात् प्रवेश करने दिया जाता है ;

(ग) क्या शिवरों के इन नगरों के अतिरिक्त भी वहां विदेशी पर्यटकों के लिए अन्य आवास सुविधा भी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में चालू 'सीजन' में पर्यटकों के लिए लद्दाख में तम्बुओं की आवास व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कारगिल के डी० एस० पी० तथा लेह के असिस्टेंट कमिश्नर से कारगिल तथा लेह में सीमित संख्या में तम्बू उपलब्ध हैं जो कि पर्यटकों द्वारा किराए पर लिए जा सकते हैं।

(ख) जम्मू व कश्मीर के कुछ क्षेत्र, जिनमें किश्तवाड़ तथा नूनकून और लेह सहित लद्दाख के कुछ भाग सम्मिलित हैं, जून, 1974 से विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। परन्तु लद्दाख में अब भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो कि भीतरी रेखा (इनर-लाइन) के अंदर हैं और वहां जाने के लिये पर्यटकों को विशेष परमिट लेने पड़ते हैं।

(ग) और (घ) कारगिल, ड्रास, बुद्धखारबू, खालसी तथा लेह में पी० डब्ल्यू० डी० के बंगले हैं । लेह में, पर्यटकों के लिए कुछ छोटे होटल तथा "पैइंग गेस्ट रूम" भी बन गए हैं।

मसालों का निर्यात

3574. श्री राजदेव सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीमिर्च, इलायची, लालमिर्च, सौंठ, हल्दी और जीरा जैसे मसालों का निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में पृथक-पृथक कुल कितने मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया ; और

(ग) इन मसालों का निर्यात किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1973-74—55.08 करोड़ रु०

1974-75—61.29 करोड़ रु०

(1975-76 के लिए पूरे निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं) ।

(ग) भारतीय मसाले अनेक देशों को निर्यात किये जाते हैं । उपरोक्त अवधि के दौरान उन में मुख्य ये थे : सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, सऊदी अरब, कुवैत, पोलैण्ड इटली, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, जापान, रूमानिया, हंगरी, ईरान, नेपाल, लिबिया, सिंगापुर दक्षिण यमन लोक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य तथा ब्रिटेन ।

Export target of Sugar

3575. SHRI LALJI BHAI : Will the MINISTER OF COMMERCE be pleased to state:

(a) the value and the quantity of sugar for which export targets were fixed from 1973 to 1975, year-wise;

(b) whether the same have been achieved; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE-(SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) The targets were as under:—

Year	*Value* (Rs. crores)	*Quantity* (Lakh tonnes)
1973	35·84	2·5
1974-75	260·00	5·0
1975-76	475·00	13·0

(b) and (c) Targets were achieved during 1973 and 1974-75. For 1975-76, the exports are estimated at 11·88 lakh tonnes valued at Rs. 467 crores. The shortfall was due to sharp fall in international sugar prices.

ग्रामीण क्षेत्रों में 1975-76 के दौरान कण्ट्रोल के कपड़े का वितरण

3576. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 के दौरान, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कंट्रोल के कितने कपड़े का वितरण किया गया ; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए मिलों के लिए कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन की कितनी प्रतिशतता नियत की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल के कपड़े का वितरण कुल वितरण का लगभग 75 प्रतिशत था । अलग राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) कन्ट्रोल के कपड़े का दायित्व प्रत्येक मिल के संबंध में तिमाही आधार पर, जिस तिमाही के लिए दायित्व निर्धारित किया जा रहा है उस से पहले की तिमाही से पूर्ववर्ती तिमाही में मिल द्वारा चलाई गई करघा पारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अत: 1976-77 के लिए मिलों का दायित्व इस समय नहीं बताया जा सकता है ।

विदेशी पर्यटकों के लिए 'फ्लाई एंड ड्राइव' योजना

3577. **श्री के० मालन्ना : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लाभ के लिए कोई 'फ्लाई एण्ड ड्राइव' योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े जिलों का बैंक ऋण में हिस्सा

3579. **श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के पिछड़े जिलों में जिन में जनसंख्या का 57.3 प्रतिशत है जून, 1973 तक कुल बैंक जमा राशियों का केवल 18.1 प्रतिशत जमा किया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : बैंकिंग विकास के विषय में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या आर्थिक विकास में पाये जाने वाले असन्तुलनों की बहुत व्यापक तथा दीर्घकालिक समस्या का एक पहलू है। जैसे कि विकास के अन्य सूचकों के मामले में होता है, ठीक उसी प्रकार शाखा-विस्तार, जमाओं और अग्रिमों सहित बैंकिंग व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बैंकों के कार्यचालन का बहुत थोड़ा सा अंश ही पिछड़े जिलों को प्राप्त है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद से, सरकारी क्षेत्र के बैंक, पिछड़े जिलों में शाखायें स्थापित करके और किसानों, कारीगरों और दस्तकारों तथा स्वयं नियोजन उद्यमों में लगे हुए अन्य छोटे ऋणकर्त्ताओं को उत्पादक-उद्यमों के लिये ऋण प्रदान करके इन असन्तुलनों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक संगठित व्यापार एवं उद्योग के अभाव में ऋण प्रसार की गति धीमी है।

इन जिलों के औद्योगिक विकास की गति में वृद्धि करने के लिये, इन जिलों में आधार-भूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के विकास के लिये कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ, इन क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिये उद्यमियों को, संबंधित अभिकरण, रियायती शर्तों पर भूमि और शेडों का प्रबंध, निवेश राज्य सहायता, कुछ जिलों में परिवहन, साहाय्य, करों में छूट, वित्तीय संस्थानों आदि से रियायती शर्तों पर ऋण का प्रबन्ध जैसे बहुत से प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

राज्यों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं का खोला जाना

3580. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में विभिन्न राज्यों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कुल कितनी शाखाएं खोली गयी हैं ;

(ख) किन राज्यों में स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्य कार्यालय नहीं हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य ऐसे राज्यों में से एक है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने कैलैंडर वर्ष 1975 के दौरान 419 कार्यालय और जनवरी तथा फरवरी, 1976 में 24 कार्यालय खोले। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया जा रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10812/76]।

(ख) से (घ) इस समय भारतीय स्टेट बैंक के 9 स्थानीय मुख्य कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास और पटना में स्थित हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की सहायता से, 1971 में, किये गये इसके संगठनात्मक ढांचे की व्यापक पुनः रचना के पश्चात् इसके स्थानीय मुख्य कार्यालयों को काफी हद तक मजबूत बना दिया गया है और अब यह आशा की जाती है कि ये बैंक की 450-500 शाखाओं और उप-कार्यालयों का प्रबंध कर सकेंगे। बैंक ने यह भी बताया है कि इसका लागत लाभ विश्लेषण इस समय उड़ीसा में अलग से एक स्थानीय मुख्य कार्यालय की स्थापना की इजाजत नहीं देता है। फिर भी, उड़ीसा के बैंकिंग कार्यक्रमों में अपने अधिकाधिक सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने भुवनेश्वर में पर्याप्त विवेकाधिकार युक्त एक मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय स्थापित कर दिया है।

नई आयात नीति

3581. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 अप्रैल, 1976 को घोषित की गई नई आयात नीति के भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति पर सम्भावित प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि उदार आयात नीति का बड़े व्यापारिक गृहों द्वारा दुरुपयोग न किया जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा स्थिति पर नई आयात नीति के सम्भावित प्रभाव को इसे तैयार करते समय ध्यान में

रखा गया था। यह अनुभव किया गया था कि सामान्य आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह अपेक्षित है कि अधिक औद्योगिक उत्पादन हो तथा साथ ही निर्यातों में वृद्धि की जाये। आशा है कि नई आयात नीति से विदेशी मुद्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे ज्यादा प्राप्ति निर्यातों में वृद्धि से हो जायेगी।

(ग) आयातित कच्चे माल के दुरुपयोग के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने हेतु आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में संशोधन किया गया है। इन उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त प्रशासनिक तन्त्र की स्थापना की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद

3582. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपने बेड़े के लिये नये विमानों की खरीद के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ;

(ख) किन-किन देशों तथा विमान निर्मातिग्रों ने इंडियन एयरलाइंस को विमान देने की पेशकश की है और उनकी पेशकश की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन तथा हालैंड के मैसर्स फोकर वी० एफ० डब्ल्यू० ने क्रमश: बी० ए० सी०-111-475 तथा एफ-28 एम० के०-4000 सीरीज़ के विमानों की बिक्री के लिए इंडियन एयरलाइन्स से पेशकश की है। कारपोरेशन निर्माताओं से अंतिम वित्तीय शर्तों की प्रतीक्षा कर रही है। यह सूचना प्राप्त हो जाने पर, कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व और आगे आर्थिक विश्लेषण किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

3583. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम का इस वर्ष किन-किन देशों को रबड़ का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ये देश, ब्रिटेन, इटली पश्चिम जर्मनी तथा जापान हो सकते हैं। कुछ अन्य यूरोपीय देश तथा सिंगापुर भी खरीद सकते हैं।

जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा अभ्रक की खरीद

3584. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य भारत से और अधिक अभ्रक खरीदने पर सहमत हो गया है, और

5—427LSS/76

(ख) यदि हां, तो वह इस वर्ष कितनी मात्रा में अभ्रक खरीदने को सहमत हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लागभग 658 मैट्रिक टन।

भारत-कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद्

3585. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-कोरिया संयुक्त व्यापार परिषद् की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के गठन का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ तथा कोरिया वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने 18-2-76 को मंडलों की एक संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापित की है।

(ख) परिषद् के गठन का विनिश्चय, जब भी बैठक होगी, दोनों मंडलों द्वारा किया जायेगा।

औद्योगिक पुर्नवित्त निगम द्वारा रुग्ण-बंद औद्योगिक एककों के लिए मंजूर की गई राशि

3586. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश रुग्ण एककों ने भारतीय औद्योगिक पुर्नवित्त निगम द्वारा एककों के सुधार हेतु स्वीकृत की गई राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन एककों द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग उत्पादन बढ़ाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र किया जाये ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणग कुमार मुखर्जी) : (क) मार्च, 1976 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम द्वारा 80 रुग्ण औद्योगिक एककों को 3083.47 लाख रुपये पुर्ननिर्माण सहायता के रूप में मंजूर किये थे, जिनमें से कुल मिलाकर 2431.71 लाख रुपये की सहायता ऐसे 72 एककों में बांटी गई थी।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सहायता प्राप्त एककों का विपणन, प्रबन्ध और तकनीक विषयक मार्गदर्शन करके निगम निरंतर यह बात सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि मंजूर की गई वित्तीय सहायता का, अधिक समय खोये बिना, यथाशीघ्र उपयोग इस प्रकार किया जाय कि एककों के शीघ्र पुनर्वास में सुविधा हो सके।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद

3587. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस का विचार आगामी दो वर्षों में कोई नए विमान खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म के और किससे तथा किस मूल्य पर;

(ग) ये नए विमान किन मार्गों पर चलाये जायेंगे ; और

(घ) किन वर्तमान विमानों का क्रम से प्रतिस्थापन किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने तीन ए० 300 बी०-2 प्रकार के विमान (एयरबस) प्राप्त करने के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री को आर्डर दिये हुए हैं जिनकी डिलीवरी 1976 की अंतिम तिमाही में होनी है। इन विमानो को, जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम अंतिम संविदागत कीमत 244.00 लाख अमरीकी डालर है, शुरू में निम्नलिखित मार्गों पर दिसम्बर, 1976 जनवरी, 1977 से नियमित अनुसूचित परिचालन पर चालू किए जाने की संभावना है :—

बम्बई—दिल्ली

बम्बई—कलकत्ता

बम्बई—मद्रास

दिल्ली—कलकत्ता, तथा

बम्बई—बंगलौर

इसके अतिरिक्त, कारपोरेशन अपने विमान-बेड़े के लिये कुछ अन्य प्रकार के "शॉर्ट" हाल जेट विमानों का भी मूल्यांकन कर रही है।

(घ) एयरबस चालू हो जाने पर, कारपोरेशन का अपने विमान-बेड़े में से धीरे-धीरे कारवेल विमानों को निकाल देने का प्रस्ताव है।

बम्बई से संचालित गैर-सरकारी विमान सेवाएं

3588. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई से संचालित गैर-सरकारी विमान सेवाओं के नाम तथा उनके गन्तव्य स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या ये गैर सरकारी विमान सेवायें और अधिक मार्गों की मांग कर रही है और यदि हां, तो इन मार्गों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन मागों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) केवल सफारी एयरवेज ही बम्बई से बम्बई/सूरत/भावनगर तथा बम्बई/केशोद/पोरबंदर मार्गों पर विमान

सेवाएं परिचालित कर रहे थे। उन्होंने 1-12-1975 से अपनी सेवाएं बन्द कर दी। नागर विमानन के महानिदेशक ने नौ मार्गों पर विमानन सेवाओं का परिचालन करने के लिए गैर-अनुसूचित परिचालकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे जिनमें निम्नलिखित मार्ग बम्बई से चालू होते हैं :--

(i) बम्बई--नासिक

(ii) बम्बई--नासिक--शोलापुर--बम्बई,

(iii) बम्बई--कालीकट--कोचीन (बम्बई तथा कोचीन के बीच यातायात अधिकारों के बिना)।

अनुसूचित परमिटधारी निम्नलिखित दो परिचालकों ने बम्बई से परिचालन करने में रुचि दिखाई है :--

1. सफारी एयरवेज़

(i) बम्बई--केशोद

(ii) बम्बई--केशोद--पोरबंदर

(iii) बम्बई--कोल्हापुर

(iv) बम्बई--नासिक

(v) बम्बई--कालीकट--कोचीन।

11. दि एग्रीकल्चरल एण्ड जनरल एवियेशन को-आपरेटिव सोसाइटी, हैदराबाद :

(i) बम्बई--नासिक--शोलापुर--बम्बई,

(ii) बम्बई--कालीकट--कोचीन (बम्बई तथा कोचीन के बीच यातायात अधिकारों के बिना)।

इन दो परिचालकों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई में निजी क्षेत्र के बैंकों से गबन की शिकायतें

3589. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में निजी क्षेत्र के किन्हीं बैंकों से गबन की कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों में होने वाले धोखेधड़ी के मामलों का विवरण समय-समय पर रिज़र्व बैंक को भेजें। जनवरी, 1975 के बाद से निजी क्षेत्र के 8 बैंकों की बम्बई स्थित शाखाओं से संबंधित धोखाधड़ी के नौ मामलों के बारे में बैंकों ने भारतीय

रिज़र्व बैंक को सूचना दी है। इन मामलों में कुल 84.67 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गयी थी।

इन सभी मामलों में, जहां आवश्यक समझा गया था, संबंधित बैंकों द्वारा अपनी रकम वापस वसूल करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस में रिपोर्ट करना भी शामिल है।

'फैरस हेलो वेयर' उत्पादों के निर्यात में कमी

3590. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष "फैरस हैलो वेयर' उत्पादों के निर्यात में कमी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । 1975-1976 के पहले 10 महीनों में हुए निर्यातों के अनंतिम आंकड़ों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना से गिरावट दिखाई देती है।

(ख) जिन कारणों में गिरावट आई, उनमें कुछ ये हैं : आयातक देशों में स्थानीय कारखानों की स्थापना, भाड़े की तथा पत्तन में रुके रहने के लिए अधिप्रभारों की अपेक्षाकृत ऊंची दरें, खाड़ी के पत्तनों और नाइजीरिया को नियमित रूप से जहाजों का न जाना तथा कच्चे माल की लागत में वृद्धि।

गिर अभ्यारण्य (गुजरात) में पर्यटक गृह

3591. **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात स्थित गिर अभ्यारण्य में कोई पर्यटक गृह बनाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गिर अभ्यारण्य में 13.11 लाख रुपए की लागत से एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण--कार्य हाथ में लिया है जो पूरा होने वाला हे । वर्तमान आवास स्थान (सस्सन गेस्ट हाउस) के अलावा, गुजरात सरकार ने फॉरेस्ट लॉज के निकट एक शयनशाला (डारमीट्री) ब्लाक का निर्माण किया है।

जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जरी पालिसियां

3592. **श्री बसन्त साठे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता वैयक्तिक दुघटना बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक क्षेत्रवार, कितनी पालिसियां जारी की गई हैं ; और

(ख) इस पालिसी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव हे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 26-4-1976 तक जारी की गई पालिसियों की क्षेत्र-वार संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

पश्चिमी क्षेत्र . . .	184,957
उत्तरी क्षेत्र . . .	136,586
पूर्वी क्षेत्र	35,755
दक्षिणी क्षेत्र . . .	65,315

(ख) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये किए गये अथवा प्रस्तावित उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) ऐसी पुस्तिकाएं छापना जिनमें इस योजना के संक्षिप्त ब्यौरे अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में दिए गये हों।

(2) समाचार-पत्रों, रेडियों, टेलीविजन, इश्तियारों और झंडियों के माध्यम से प्रचार करना।

(3) नियोजकों, व्यापार संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों के समूहों को इस योजना के लाभों के बारे में समझाना।

(4) जनता वैयक्तिक दुर्घटना योजना तथा अन्य गैर-परम्परागत श्रेणीयों के बीमा कारवार के लिए विकास तथा प्रशासनिक श्रेणियों के प्रस्तावित विशेष संवर्ग में कर्मचारियों की भरती करना;

(5) दस्तावेजों तथा निपटान दावों को जारी करने से संबंधित कार्यवधियों को सरल बनाना।

रुग्ण कताई मिलें

3593. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण कताई मिलों को आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) देश में रुग्ण कताई मिलों की राज्यवार अनुमानित संख्या क्या है और प्रस्तावित योजना से इन एककों को किस सीमा तक राहत मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) हाल ही में सूती कताई मिलों को यार्न बाजार में मंदी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति देर तक नहीं रहेगी और यह नहीं कहा जा सकता कि कठिनाइयां उठा रही सभी कताई मिलें संकटग्रस्त हैं। सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है और यदि स्थिति ऐसी होगी जिससे उपचारात्मक कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वैसी कार्यवाही की जायेगी।

बिहार में अधिमान्य ब्याज दर पर बैंक ऋण

3594. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार के प्रत्येक जिले में कुल कितने व्यक्तियों को व्यवसाय-वार अधिमान्य ब्याज दर पर बैंक ऋण दिए गए ; और व्यवसाय-वार कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में मधुबनी-दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में ऐसे व्यक्तियों की शाखावार कुल संख्या कितनी थी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय विभेदी ब्याज-दर योजना से है, जिसे जून, 1972 से चालू किया गया है। आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान पद्धति में व्यवसायवार आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, बिहार के जिलों में विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन बकाया अग्रिमों विषयक दिसम्बर, 1973 और दिसम्बर, 1974 के उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं। । **[ग्रन्थालय में रखा गया] देखिये संख्या एल० टी०--10813/76]**

स्वायत्तशासी निकाय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी

3595. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनाधीन विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते को हाल में केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ते के बराबर कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रण में विभिन्न स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते की दरों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ते की दरों के बराबर करने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

दुर्बल वर्गों को बैंक-ऋण की सुविधा

3596. श्री के० मालन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्वास स्थलों पर भवन निर्माण के लिए समाज के दुर्बल वर्गों को बैंक-ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी अपनी नीति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने गांव के लोगों को पुनर्वास के लिए मामूली ब्याज-दर पर कोई विशेष ऋण सुविधा प्रदान की है ; और

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को देश में दुर्बल वर्गों को ऋण-सुविधा प्रदान करने के लिए अनुदेश दिये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) निम्न आय समूह की आवासन योजनाएं चलाने वाले राज्य आवासन बोर्डों के बाण्डों और

ऋण पत्रों में अंशदान देने के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय आवासन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों से मकान के लिए जमीन पाने वाले भूमिहीन मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को, सरकारी क्षेत्र के बैंक रियायती दर पर, व्यक्तिशः ऋण देते हैं।

(ख) और (ग) : सरकार की स्वीकृत नीति यह है कि समाज के कमजोर वर्गों को बैंक ऋण उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाये। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को उचित आदेश जारी किये हैं।

मेवे के बाजार में मंदी

†3597. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के मेवे के बाजारों में भारी मंदी आई है ;

(ख) यदि हां, तो बाजार मूल्यों में भारी गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या बाजार की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम अब भी व्यापार के साथ हाल ही में हुए 52 लाख रुपए के सौदे के माध्यम से मेवों का आयात करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं, देश में मेवों के मूल्यों में नाम मात्र ही कमी हुई है।

(ख) यह नाम मात्र कमी इसलिए हुई है क्योंकि इस समय मेवों के उपयोग का मौसम नहीं है।

(ग) राज्य व्यापार निगम मेवों का आयात करेगा।

कागज पर बजट से पूर्व की लेवी का लगाया जाना

3598. **श्री के० लकप्पा**
श्री राजदेव सिंह
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पेपर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन तथा कर्नाटक पेपर मर्चेंट्स एण्ड स्टोर्स स्टेशनर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कागज पर बजट से पूर्व की लेवी ही लगायी जाए क्योंकि लेवी में वृद्धि से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कागज संकट और गम्भीर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सोमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, धन कर अधिनियम, गुजरात विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 308 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-10798/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां०नि० 588, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 306(ङ), जो दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 307(ङ), जो दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गए देखिए संख्या एल०टी०-10799/76]

(3) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना सं० सां०आ० 1165 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 625 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-10800/76]

(4) धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां०आ० 304(ङ) तथा 305(ङ) की एक-एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा

जिनमें दिनांक 31 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या सां०आ० 267(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी०-10801/76]

(5) (एक) गुजरात राज्य के संबध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जीएच०एन20) जी० एस० टी०-1076/(एस०-49)-अ०(47)-टी०एच० की एक प्रति जो दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए सं० एल० टी०-10802/76]।

न्यू इंडिया एसोयरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत न्यू इंडिया एसोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक--महालेखापरीक्षक की टिप्पणी रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-10803/76]

सोमवार, 10 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए लोक सभा में सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON GOVERNMENT BUSINESS IN LOK SABHA DURING THE WEEK COMMENCING MONDAY, THE 10TH MAY, 1976.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि 10 मई 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(3) मंगलवार, 11 मई, 1976 को 6 बजे म०प० वर्ष 1976-77 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्धमें अनुदानों की शेष मांगों को सभा के मतदान के लिए रखना।

(4) चर्म, खाल और साधित और असाधित चमड़े पर निर्यात शुल्क के बारे में दिनांक 1 मई, 1976 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि०314(ङ) का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा।

(5) वित्त विधेयक, 1976 पर विचार तथा उसे पास करना।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

COAL MINES (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* ORDINANCE

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

बजट (सामान्य)-अनुदानों की मांगे

BUDGET GENERAL —DEMANDS FOR GRANTS

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय—जारी

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान के लिए केवल 1 1/2 घन्टे का समय रह गया है और बहुत से सदस्यों ने बोलना है। अतः मेरा सुझाव है कि हम वाद-विवाद का समय 2 घण्टे बढ़ा दें और माननीय मंत्री को 2.30 बजे बुलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम ऐसा ही करें।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): While supporting the demands for grants pertaining to the Ministry of Industry and Civil Supplies, I congratulate the Minister for exercising effective control over the public sector units which has resulted in increased production. There is now no scarcity of the essential commodities in the country and prices have also shown a downward trend.

There are certain items like razor blades, dry batteries and safety matches which are not in a position to reach the I.S.I. standard. The Minister must take some action about these items which fail to attain the ISI standard.

So far as sugar mills are concerned, the sick mills should either be soon rehabilitated or they should be taken over because under the present conditions the farmers have to suffer big loss

There is need to manufacture cheap tractors which all farmers can purchase.

We are grateful to the Prime Minister for her leadership and guidance. The declaration of emergency and implementation of 20-point programme have resulted in easy availability of all goods at cheap rates.

If any company does not utilise its licence, it should be canccelled. The practice of bogus licences, should be completely eliminated.

So far as the question of small scale and ancillary industries in Bihar is concerned, we have raised the matter in the Consultative Committee a number of times but there has been no satisfactory result. The officers of TELCO and TISCO still preferred to purchase goods from Bombay or Calcutta even though the local small scale industries can manufacture these things.

As regards motor cars, no doubt, their production has gone up. But there is great drawback in regard to this industry. It continues to make old models under new names without any changes in design or improvement in performance. Government should impose some penalty on the car manufacturers if they fail to make any improvement in their cars.

According to the Ministry's Report the export of engineering goods is 0·5 per cent. This is very insufficient and should be increased.

I have information about Coca Cola Company which has undertaken illegal expansion. The result is that 22 bottling plants are working. This is a very alarming situation. But the officers are not at all worried about it and have again allowed ad hoc import licence to the company. The Minister should check such things.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मंत्री महोदय ने कई बार इस आशय का वक्तव्य दिया है कि देश की स्थिति में अब सुधार हो गया है और हम समृद्धशाली भविष्य की आशा कर सकते हैं तथा देश में वास्तविक औद्योगिक विकास होगा। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की दर में वृद्धि हुई हो। लेकिन समग्रगत: देखा जाय तो जिन उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई है उनमें या तो कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी गई है या वह कारखाना ही बन्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 9 वर्षों के भीतर 1200 कारखाने बन्द किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या ठोस उपाय अपनाने जा रहे हैं।

जहां तक पटसन मिलों और पटसन कर्मचारियों की दशा का सम्बन्ध है, कलकत्ता बिजनेस स्टेंडर्ड में कहा गया है कि सरकार पटसन मिल मालिकों को पटसन वस्तुओं पर नौ-वहन भाड़ा कम करके और रियायतें देने जा रही है। मिल मालिक यह बहाना बना रहे हैं कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि वस्तुत: उनकी स्थिति खराब होती तो वे उद्योग के पुनरुत्थान के क्या गम्भीर कदम नहीं उठाते। सरकार उन्हें जो कुछ रियायतें देती है वे उन्हें हड़प कर जाते हैं और उद्योग को संकट में से उबारने के लिए उनका प्रयोग नहीं करते। दूसरी ओर वे सरकार को बड़े पैमाने पर उद्योग बन्द करने की बात पर बल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग में सुधार की कोई सम्भावना नहीं है।

अत: सरकार जो कुछ कहती है वह ठीक नहीं है। देश प्रगति नहीं कर रहा है। स्थिति देश में वास्तविक औद्योगिक विकास लाने के पक्ष में नहीं है। छोटे पैमाने के उद्योग और मध्यम क्षेत्र के उद्योग की स्थिति डांवांडोल है। यहां तक कि बड़े उद्योगों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक ओटो मोबाइल उद्योग का सम्बन्ध है, सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है। लेकिन क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है? हिन्दुस्तान मोटर और फियेट

में बारी-2 जबरी छुट्टी की पद्धति जारी है। इस उद्योग की सहायता हेतु कारों के मूल्य घटाने के लिए उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा टायरों इत्यादि पर लगने वाले करों में कमी की गई है। फिर भी उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। जब तक पैट्रोल की कीमतें घटाई नहीं जातीं तब तक कोई लाभ नहीं होगा।

सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम दिखावा मात्र है। पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में जहां तक कि केन्द्र में भी कई द्विपक्षीय समितियों की स्थापना की गई है। इन समितियों में केवल इन्टक और एटक के लोगों को बुलाया गया है। सी०आई०टी०यू० को इसमें क्यों नहीं शामिल किया जाता जोकि पश्चिम बंगाल के जूट कर्मचारियों की मुख्य शक्ति है। सरकार को अपने रवैय और नीति में परिवर्तन करना चाहिए अन्यथा देश के औद्योगिक विकास का कोई भविष्य नहीं है।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): मैं प्रधान मंत्री के नए 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सन्दर्भ में उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

भारत का औद्योगिक विकास सही रास्ता न अपनाकर अन्य रास्तों पर चलता रहा है और विकास प्रक्रिया में कुछ नई बातें उभरी हैं। उदाहरणतया दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में कुछ असन्तुलन पैदा हो गया है। फिर भी 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत की विकास दर पर्याप्त नहीं है। इस तरह हम 20 वर्षों में बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमने पूंजीगत माल, विद्युत उत्पादन, मशीनें, मशीन टूल्स, कपड़ा, कागज और लुग्दी, चीनी, रसायन और भेषज मशीनरी का विकास किया है।

भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के प्रवक्ता ने अपना अधिकांश समय कारखानों के बन्द होने की घटनाओं का उल्लेख करने पर लगाया है। देश में जितना औद्योगिक विकास हुआ है उस पर उन्होंने दृष्टि नहीं डाली है। मैं श्री टी० ए० पाई और उनके सहयोगियों तथा उनके मंत्रालय के अधिकारियों को विकास और आत्मनिर्भरता के नए **आयाम** सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए बधाई देता हूं।

क्या दीर्घकालीन प्रगति और रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत औद्योगिक प्रगति के बगैर गुजारा कर सकता है? औद्योगिक विकास तो हमारे लिए अनिवार्य है। हमें अपनी विकास दर की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 4 या 5 प्रतिशत की विकास दर से कुछ नहीं होगा। यहां तक कि 6 प्रतिशत की विकास दर से भी हमें बेरोजगारी दूर करने के लिए 20 वर्ष लग जाएंगे। जब तक हम विकास दर को बढ़ा कर 10 से 12 प्रतिशत नहीं कर देते तब तक वर्तमान अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर सुधार संभव नहीं।

सरकारी क्षेत्र में बहुत से निगमों ने लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है। लेकिन कई क्षेत्रों में अभी उत्पादन बहुत कम है जैसे सीमेंट बनाने की मशीनों के मामले में 40 प्रतिशत की कमी है और 36 प्रतिशत उत्पादन कम हो रहा है। इस्पात, कोयल भारी और हल्के इंजीनियरी सामान आदि के मूल्यों में कुछ विशेष कमी नहीं हुई है।

दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो अन्तर आया है उसे भरने के लिए सहायक उद्योगों ने भी अपेक्षित रूप से कार्य नहीं किया है। हमने लघु उद्योगों के विकास में कुछ प्रगति की है। पर इस बारे में भी एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। इसके बिना ये उद्योग बड़े भारी उद्योगों द्वारा की जाने वाली प्रगति का सामना नहीं कर पाएंगे।

मेरा सुझाव है कि 'पिछड़े क्षेत्र' शब्द की पुन: व्याख्या की जाए और बेरोजगारी के आकड़ों को ध्यान में रख कर किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ माना जाए। अब तो प्रगतिशील क्षेत्र भी अपने को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर रहे हैं अत: पिछड़े क्षेत्रों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाए।

प्रतिवेदन में अनुसंधान और विकास सम्बन्धों के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आयातित मशीनों की रूपरेखा तैयार की जाए और इन मशीनों के फालतू पुर्जों का निर्माण आरम्भ किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में ये संयंत्र, जिनकी स्थापना अत्यधिक लागत और विदेशी प्रोद्योगिकी से की गई है, ठप्प न हो जाए।

मेरा सुझाव है कि हम कार्बन ब्लाक बनाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम पेट्रो डालर क्षेत्र और पूर्वी एशिया के देशों के बाजार में पदार्पण नहीं कर पाए हैं।

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna).: Sir, It is regrettable that even after 28 years independence the State of Bihar has been lagging behind in industrial development. It is a fact that the Government of India have set up some big industries in South Bihar. But in most of the areas of the state there are no industries even though it is quite rich in minerals. The Government always talk about the development of backward areas but they have not done much for north Bihar.

There was not a single big factory around Patna which is the Capital of Bihar. The Government should acquire 42 acres of land belonging to Birla in Phulwadi Sharif. A big factory can be set up there as it is lying unutilized for the last many years.

There are two wagon building factories in Bihar, the Arthur Butler in Muzaffarpur and Britania Engineering Company in Mokama. These factories are not being run properly. Old workers are removed and new workers are being appointed. The Government should ensure their efficient working.

There is a scheme to set up a tractor factory in Fatwa. Land had already been acquired but it is not known when the factory will come up. The matter should be expedited and more and more local people should be given employment in this unit. In the Fatwa Scooter Factory also local people can be absorbed at least in class III and class IV posts. In this factory people from other parts of U.P. preference should be given to the local population.

I, therefore request that wherever land is acquired for setting up factories, preference should be given to the local people in the matter of employment and their other problems be solved so that resentment prevailing among them can be removed.

As regards automobile industry, all the factories belonging to the Tatas and Birlas should be nationalised. Also there is need to stop blackmarketing in tyres and arrangement should be made to supply tyres to the genuine persons at reasonable prices.

The Khadi industry should be expanded as it can give employment to a large number of poor people. The corruption rampant in the Khadi Gramodyog should be stopped and justice be meted out to workers there. Lakhs of rupees of arrears of Provident Fund of workers are still outstanding. Arrangement should be made for its payment.

SHRI CHANDRIKA PRASAD (Ballia) : It is true that there has been much prosperity in the country as a result of industrialisation. But this industrial development has not been uniform throughout the country. While some areas which have the necessary infrastructure, have come up, the backward pockets have remained neglected. It is high time the Government of India and the Planning Commission should pay attention to these areas.

There was a scheme to set up a mini steel plant in Ballia district of Uttar Pradesh and the Prime Minister was to lay its foundation stone. Many years have passed but the plant has not yet come up. The matter should be expedited. A light engineering factory should also be set up in this area as it has got a large number of trained people.

The Patel Committee and the Pande Committee have recommended the setting up a number of industries in Eastern U.P. but none has come up so far. There is much scope for leather industry in this area. In our area Potato is grown in a very large quantity. But as there is no cold storage a good part of it is wasted. Government should provide financial assistance for setting up a cold storage there.

There is a Gandhi Ashram in our area which purchases yarn at a very low price. This kind of exploitation should be stopped. A large number of people from Eastern U.P. have gone to Madhya Pradesh, West Bengal and Assam and have been working there for more than 15 years. But their sons are not considered by these states even for apprenticeship, this should be looked into.

With these words I support the demands for grants of this Ministry.

SHRI N. E. HORO (Khunti): The Industrial Policy Resolution of Government was revised in 1973. In my view the Industrial Policy Resolution has not been properly implemented and the result is that the backward areas have not been coming up. It is said in this Resolution that the State Governments should try to develop necessary infra-structure but they have not paid any attention to it. If this position continues the backward areas will not be able to come up for years.

There are 350 districts in our country out of which 232 have been declared by Government as backward. It is not known what has been the criterian in this regard. In any case, this criterian needs revision so that many other districts which are really backward are included in the list of backward districts

In Bihar in the Chhota Nagpur region only Palamau district has been declared as backward. We will like to know why Ranchi, Singhbhum and Hazaribagh are not declared as backward.

So far as the setting up of new industries is concerned, Government should avoid Capital and industrialists from other States as this creates social tension. Preference should be given to the sons of the soil.

The structure of the cooperatives should be so changed that they provide credit not only for agriculture but also for setting up of small and medium industries. The help of Khadi Board can also be taken in this regard.

The Public Undertakings Committee has said that even though the public undertakings have been functioning for more than 10 years they have not yet taken any decision in regard to their social responsibilities. The Minister should pay attention to do. If the public undertakings discharge their social responsibilities properly a number of backward areas can come up.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : The Minister deserves to be congratulated for this fine performance in the field of industrial development.

The production of cement has gone up from 14·7 million tonnes to 17·2 million tonnes. Even then there is need to set up mini steel plants in areas like Neemka Thana in Pali district of Rajasthan where the raw material is already available. It is high time the Minister should pay attention to it.

There are many areas in the country which are very backward. For example, in Rajasthan we have Pali, Jalore and Sirohi which are very backward. If these areas have to come up, special attention will have to be paid to their development. It is not known on what criteria, places are declared backward. In any case, Pali must be declared backward.

Thousands of industrial estates have been set up but the main question is as to who should develop these industrial estates. It is learnt that slums have appeared there because there is no necessary infra-structure for the development of these areas. The State Governments have no resources to develop them.

Steps should be also taken to develop ancillary industries. There is no coordination among the offices of small scale industries in states and the centre. The Industries Department of Rajasthan is most apethetic to needs of small scale industrialists. Steps should be taken to see that they are not unnecessarily harassed.

The workers working in the fields of Khadi and village industries do not even get the minimum wage. Steps should be taken to set things right in this field.

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : निस्संदेह सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा लिया है किन्तु पिछड़े क्षेत्रों का केवल पता लगाने से ही समस्या हल नहीं होगी। आयोजना पर अधिक जोर देना होगा। जहां तक विकास पहलू का सम्बन्ध है, इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

वित्तीय वर्ष मार्च से आरंभ होता है और कार्य अवधि जून में समाप्त होती है। वास्तव में वित्तीय वर्ष जून से आरंभ होना चाहिए। यदि विभिन्न विभागों द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने में किसी तरह का विलम्ब हो जाता है तो इससे उसके निर्माण कार्य में भी विलम्ब हो जाता है।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जो दृष्टिकोण विभिन्न मंत्रालयों ने अपनाया है, वह एकीकृत होना चाहिए।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। किन्तु सुदूर क्षेत्रों में उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। संचार तथा यातायात के साधनों के अभाव के कारण ही ऐसा होता है। अत: सुदूर क्षेत्रों में अधिकाधिक वितरणकर्ता एजेन्सियां खोली जानी चाहिए ताकि कमजोर वर्गों को मिट्टी का तेल, नमक आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

जनजाति क्षेत्रों में भी औद्योगिक नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार ने इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए हैं किन्तु उन उद्योगों ने अभी उत्पादन करना आरंभ नहीं किया है क्योंकि वहां तकनीकी जानकारी वाले व्यक्ति नहीं है। अत: बड़े उद्योग खोलने की बजाय, उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हस्तशिल्प जैसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति वाला मामला बाधक नहीं बनना चाहिये। इसके अतिरिक्त इन पिछड़े क्षेत्रों में अन्य आर्थिक विकास भी किया जाना चाहिये। इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अग्रणी आयोजना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

फिर भी मैं उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समथन करता हूं।

SHRI RAM HEDAOO (Ramtek) : Shri T. A. Pai deserves compliments for increased industrial activity in the country, but the regional inbalance is on the increase, because there is a great exodus of people and the industries from rural to urban areas. The tribal and the backward areas are in a state of utter neglect. New industries are being set up in the areas where big industries already exist. For example in the Thana district of Maharashtra 1300 new industries have been set up during the last 10 years whereas in the eight districts of Vidarbha even 13 dozen industries have not been set up during this period. The region of Vidarbha in Maharashtra is still being neglected by Maharashtra Government. There is a good deal of potential existing in Vidarbha for setting up new industries. A Committee should be set up to make a survey in this connection and the central as well as the State Governments should pay more attention to the industrial development of this region. A weaving and spinning mill can be opened there and also the paper and hard board manufacturing factories can be opened in Vidharbha.

Factories producing milk products can be set up there. Sugar mills can also be set up in the eight districts of Vidharbha. Cultivation of oranges, mangoes and tomatos is very good there and the industries based on them can be set up there.

Handloom industry must be protected there. Power Indutry is overshadowing the handloom industry resulting in unemployment on large scale. Government must pay attention to setting up one or two public undertaking there.

Unemployed persons are not getting loans from banks in rural areas. Attention should be paid in the matter. One person may be allowed to run only one industry. We see that big industrialists having money and skill are able to set up more industries as a result of which large portion of profit goes into the hands of one industrialist. To earn profits is against the tenets of Socialism.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उद्योग के कुछ क्षेत्रों में की गई प्रगति के लिये मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि उद्योग की प्रगति में 0.2 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। किन्तु पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक प्रगति में विद्यमान आर्थिक असंतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि यद्यपि सरकारी क्षेत्र में भी बड़े उद्योग प्रगति कर रहे हैं तथापि सहायक उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है और विभिन्न अविकसित क्षेत्रों में तो सीमान्त प्रगति भी नहीं हुई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अल्प विकसित क्षेत्रों की बजाय विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

मेरे राज्य में 11 जिले पिछड़े हुए है। इनके साथ सौतीला व्यवहार किया जा रहा है जबकि मैसूर को जिसे पिछड़े क्षेत्रों में सम्मलित नहीं किया गया है योजना आयोग दूसरी रियायतें दे रहा है और अनुसूचित पिछड़े जिलों का विकास कदापि नहीं किया गया है।

अतः गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक को विकास सम्बन्धी आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के लिये एक साथ रखा जाये। इस क्षेत्र में परिवहन तथा अन्य विभिन्न सुविधाओं की जरूरत है। जहां सड़कों तथा रेल लाइनों का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि विकास के लिये वे नितान्त आवश्यक हैं।

बड़े नगरों में उद्योगों का केन्द्रीकरण रोका जाना चाहिए। बार बार अनुरोध किया गया है कि इसे रोका जाये तथा अल्प विकसित देशों का औद्योगिक विकास किया जाये। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। औद्योगिक गति विधियों में समन्वय लाने पर विचार किया जाना चाहिए। औद्योगिक प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। एकाधिकार को बढ़ने से रोका जाना चाहिए। कुछ कदम उठाये गये है। किन्तु वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 29 के मार्गदर्शी निदेशों को निष्प्रभावी बना रहा है। समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी समस्याऐं है जो कि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यविन्त करने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में सभी विदेशी कम्पनियों में 26 प्रतिशत इक्विटी रखने से सरकार को रोक रही है।

एकाधिकार गृहों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को रोकने के लिए औद्योगिक प्रगति में संरचनात्मक परिवर्तन होने चाहिएं। औद्योगिक विकास पिछड़े क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

बंगलौर में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाई जानी चाहिए और टुम्कुर में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए।

6--427LSS/76

SHRI N. P. YADAV (Sitamarhi): In North Bihar the old districts of Darbhanga and Champaran have declared as backward districts but the district of Sitamarhi has not been declared as such and as a result the capital subsidy is not being allowed for setting up industries in Sitamarhi district. The reasons as to why the districts of Sitamarhi, Muzaffarpur and Hajipur are not being allowed capital subsidy for setting up industries may be clearly stated. Steps should be taken to see that capital subsidy for industries is allowed to these three districts also.

Blackmarketing is rampant in the business of motor spare parts in the whole country. The prices of motor parts should be brought down. Pistons priced at 1600 or 1700 are being sold @ Rs. 2700 or Rs. 2800 or Rs. 3000. The main begin bearing priced @ Rs. 600 is being sold @Rs. 1300. The fairs price cards should be tagged down to articles so that consumers know the correct prices of these motor parts.

Since 1947 not a single sugar mill has been established in North Bihar either in private sector or public sector. No small industry has been opened there.

If small scale industries are to be developed in the country all literature produced by the Ministry in the Ministry should be published in other languages besides Hindi or English.

More attention should be paid to the development of rural and backward areas and small scale industries should be set up for that purposes.

SHRI VIRENDRA SINGH (Mandi): I support the demands for grants for the Ministry of Industry & Civil Supplies. The Ministry deserves congratulations for making remarkable progress in the field of industrialisation of the country. Our country is predominantly an agricultural country and while we endeavoured to become self reliant in the matter of food production, it is also necessary to bring about a large scale industrialisation in the country with a view to solve the problems of poverty and unemployment.

During the last few years industries have been started only in these areas which were already developed and backward areas have been completely ignored. The government has declared 250 or 233 districts as backward and in the name of development of backward areas, concessions quotas and permits have been taken but they are used in other places and the backward areas still continued to be backward. The Ministry should take measures to create infrastructure in the backward areas so that industries could be set up there.

The amount earmarked in the five year plan for the the development of backward areas is too inadequate. An industrial development bank should be opened to finance development projects in the backward areas.

Himachal Pradesh is a backward Hilly State and there is abundent minerals and potential for power generation but there is no infrastucture for setting up new industries and not a single factory, either in private or public sector, or a railway line has been opened there since independence. The Railway Minister said that there are no industries and there is no justification for laying down new railway line in Himachal Pradesh. So it is a vicious circle. If a rail link was set up between Jagadhari and Banta and between Nangle and Talwara it would help much in the development of that State.

SHRI SHRIKISHAN MODI (Sikar): The Ministry deserves congratulations for its remarkable performance in the field of industrial development. It is noteworthy that there is no problem in regard to industries.

Rajasthan is a very backward State and it is unfortunate that they are lagging behind in other States in the field of industrial development. Therefore special attention should be given to them and the State should be declared as backward. There are vast rich natural resources in Rajasthan but they have not been fully exploited so for. There is a scheme to set up at Sikar a sulphuric acid at a cost of Rs. 400 crores but it is not known at what stage it is held up. The Minister should use his good offices for the clearance of this scheme.

A consultative committee of Members of Parliament should be sent to Japan and other countries to study the network of small scale industries there so that they might help in setting up similar net work in our country also. There is a great slump in the field of small scale industries. Some arrangement should be made to provide finance to small scale industries.

Licences for setting up five cement factories in Rajasthan have been issued but the Railways are creating obstructions pleading that they have no wagons for movement. The Minister should use his good offices to see that these cement factories are set up at the earliest.

The owners of tractors should be instructed to open their service stations compulsorily at every point so that agriculturists could get spare parts and repairing facilities at cheap rates. More attention should be paid to ceramic industry and for that purpose Jadavpur Institute should be strengthened so that they could develop the patterns and ceramic industry.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : देश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो प्रगति की है उस पर हमें सभी क्षेत्रों में गर्व है। हमारी उपलब्धियां महान हैं। यह कहना कि 27 वर्षों में हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। तथ्यों को झुठलाया गया है।

आज हम विकसित देशों में हैं, हमें स्वयं को विकासशील देशों में देश कह कर नीचे नहीं गिरना चाहिये। हम इस रूप में भी विकसित देश हैं कि हमारी समस्या देश के एक बड़े भाग को विकसित करने की भी है। इस समय हम देश को विकसित का उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम हैं। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम में अनुशासन आए।

मंदी का उल्लेख किया गया है। उद्योगपतियों ने पहली बार इस बात को जाना है कि अब अभाव नहीं है और इस समय मांग पहले के समान नहीं है। पहले उद्योगपतियों द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा करके मांग को बढ़ाया जाता था। वर्तमान स्थिति को हम मंदी की स्थिति नहीं कह सकते।

राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास के लिये आत्मविश्वास का वातावरण तैयार करना होगा। इस काम में प्रत्येक राज्य और उसकी जनता अपना योगदान दे। तब ही देश में औद्योगिक विकास हो सकता है। सारे देश के सर्वरूपेण विकास के लिये प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया। पहले पंजीपूंजी और श्रम में विरोध था। मेरे मंत्रालय की जो प्रशंसा की गई है उसका सार श्रेय मैं अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देता हूं। जनता की आकांक्षाओं के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है बेशक हम सभी बातों से सहमत नहीं हो सकते। परन्तु हम न भी तो नहीं कर सकते।

मेरा कार्य औद्योगिक लाइसेंस देने का है। औद्योगिक विकास राज्यों का कार्य है। मेरा मंत्रालय लाइसेंस न देकर विकास कार्य में बाधा बन सकता है। मैंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि लाइसेंस जारी करने में बाधा पैदा न करके हम देश में विश्वास का वातावरण पैदा करेंगे। राज्य सरकारों तथा राज्यों की जनता को भी वैसा ही वातावरण पैदा करना चाहिये। हम अपनी ओर से उन्हें सहायता देंगे।

देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि वहां शान्तिमय वातावरण रहे। इसके लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। ऐसा किए बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। कृषि हमारे देश का आधारभूत उद्योग है। उसके सभी दृष्टि से विकास के अधिक अवसर हैं। पर उसका विकास तभी हो सकता है जब उसे उद्योगों से सम्बद्ध किया जाए। अपने कृषि उत्पादों के लिए हमें हर समय बाजार बनाए रखना होगा। इसके लिए कृषि उत्पाद परिष्करण उद्योगों का बड़ा महत्व है। परन्तु इंजीनियरिंग उद्योगों का बहुत महत्व है। वे आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

यह कहा गया है कि कच्चे माल का, जो कृषि पर आधारित हैं, मूल्य घट रहा है। जब कच्चे माल का मूल्य घटता है तो तैयार माल का भी भी घटता है, परन्तु इस्पात और अन्य

उत्पादों से इसका सम्बन्ध नहीं बैठता । वहां तो मूल्य अधिक कार्य कुशलता से ही घट सकता है ।

खादी बोर्ड का कार्य संतोषजनक नहीं है । यदि इसमें सुधार नहीं होता तो खादी बोर्ड अथवा खादी आयोग का पुनर्गठन करने का विचार करना होगा जिससे वे आवंटित धन से अधिक और स्थायी रोजगार प्रदान कर सकें ।

एक सदस्य ने लागत पर ध्यान दिए जाने का जिक्र किया । अपने औद्योगिक विकास में हमें लागत मूल्य को ध्यान में रखना होगा । लागत मूल्य का ध्यान रखना ही नहीं वरन् एक विकासशील देश के लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है । सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में समय बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है । सरकारी क्षेत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है । भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० की झांसी में बन रही फैक्टरी जो पहले जनवरी में पूरी होनी थी, इस वर्ष सितम्बर, में पूरी हो जाएगी । त्रिर्चा में बिना जोड़ के ट्यूब बनाने की फैक्टरी के निर्माण के लिए 42 मास का समय दिया गया था अब इसे 36 मास में ही पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे वित्तीय संस्थाएं संगठित होकर देश के निर्धनों की समस्याओं को सुलझाएं । यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार की सांविधिक व्यवस्था की जाए जिसके अन्तर्गत एक ही तरह का काम करने वाली पांच और छ: संस्थाएं कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिससे वे शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले सकें । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम आदि वित्तीय संस्थाओं को अपने-अपने क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए ।

देश को यह जानना चाहिए कि कपड़ा और जूट उद्योग पर उसका क्या दाव पर लगा है । इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में सरकारी रुपया लगा है । इसलिए राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि से इन उद्योगों की ओर ध्यान देना अधिक महत्व रखता है ।

दी गई सभी रियायतों के बावजूद छोटे अंशधारियों में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बचत उद्योगों में लगा रखी है । उनके हितों की रक्षा की जाए । सभी प्रकार के संशोधनों के बावजूद लोगों में विश्वास पैदा नहीं हुआ है और वे निवेश में रुचि नहीं रखते । इसी कारण मैंने यह सुझाव दिया कि सरकारी क्षेत्र को भी रुपया प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस पर गैर-सरकारी क्षेत्र का ही एकाधिकार क्यों हो ? स्कूटर्स इण्डिया के सम्बन्ध में सरकार फैक्टरी के आस-पास के लोगों से एक करोड़ रुपया प्राप्त करने में सफल हुई है । जनसाधारण गैर-सरकारी उद्योगों में ही रुपया क्यों लगाए लोगों से रुपया प्राप्त करने के लिए हमें नया ढंग, नया व्यवहार और नया विश्वास पैदा करना होगा ।

प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए उद्योगों पर उसका पूर्ण या आंशिक स्वामित्व होना चाहिए । कर्मचारियों को अंश प्राप्त करने और किसी रियायत के कारण नहीं वरन सांधिकार बोर्ड में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए । एक विकासशील देश में हम श्रम और पूंजी के विवाद और विश्वास की कमी को सहन नहीं करते रह सकते । श्रमिकों के पूर्ण सहयोग के बिना किसी भी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता ।

[**श्री बसन्त साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *In the Chair*]

हमारे कछ सरकारी उपक्रमों में बड़ा अच्छा काम हुआ है ? भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० जैसे बड़े उपक्रमों में गत दो और तीन वर्षों में एक भी जन दिवस बेकार नहीं गया। यदि कर्मचारियों के सहयोग से ऐसा वहां हो सकता है तो अन्य उद्योगों में क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य ने मिनी सीमेन्ट संयंत्र का जिक्र किया। मिनी सीमेन्ट संयंत्र के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु हमें इसके लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हाल ही में इस क्षेत्र में प्रगती हुई है और सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान ऐसे संयंत्रों की स्थापना में पूरी मदद देगा।

यह कहा गया है कि कर्मचारियों को प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण देना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपनी आस्तियों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।

जहां तक उद्योगों के विस्तार का प्रश्न है सरकार अधिष्ठापित क्षमता, वर्तमान कारखानों के विस्तार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और यदि आवश्यक हो तो उनका आधुनिकीकरण करके अधिकतम लाभ उठाना चाहती है।

लघु उद्योग क्षेत्र में गत वर्ष 5.9 प्रतिशत की प्रगति हुई। भारी इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में 30 प्रतिशत प्रगति हुई है 1975-76 में सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरी उद्योगों में कुल 751 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ जो 777 करोड़ रुपए के लक्ष्य का 97 प्रतिशत है। 1972 में यह उत्पादन केवल 280 करोड़ रुपए का था। यह उपलब्धि सरकारी उपक्रमों के उत्तरदायित्व का भार बांटने और उनकी समस्याओं को हल करने पर प्राप्त की जा सकी।

अब हम देश में ही 11 लाख कि० वा० बिजली तैयार करने वाले सेट बनाते हैं, अतः इनका आयात करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अनुचित आलोचना की ही जाती है कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के सेट काम नहीं करते, जैसे विदेशी सेटों में कभी खराबी ही नहीं आती मैं आपको बता दूं उत्पादन की दृष्टि से भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० संसार की 120 शीर्षस्थ कम्पनियों में आती हैं। संसार में बहुत कम फैक्टरियां इतनी बड़ी मशीनों का उत्पादन करने में सक्षम है जितनी कि भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०। बिजली के संयंत्र बनाने वाली कम्पनियों में इसका स्थान सातवां है तथा अगले तीन-चार वर्षों में यह 500 मैगावाट की औद्योगिकी का विकास कर लेगी और एक बार यह क्षमता आने पर उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आशा है हम इसमें निर्मित बिजली उत्पादन सैटों का निर्यात करने लगेंगे। 1977 तक वे तेल रिग्स का उत्पादन करने लगेंगे तथा इस क्षेत्र यें अमरीका के बाद दूसरा स्थान भारत का ही होगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में 1971 में केवल 28 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ जो अब बढ़ कर 85 करोड़ रुपया हो गया है। यह वृद्धि 35 प्रतिशत है।

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाले उद्योगों ने 40 प्रतिशत प्रगति की है। अगले वर्ष के लिए उत्पादन का लक्ष्य 75 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 128 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म को जहां भारी हानि के कारण उसे बट्टेखाते डालना पड़ा था, 84 लाख का लाभ कमाया है तथा उसमें 2 करोड़ रुपए का लाभ होने की सम्भावना है।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट को कैमरा का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है तथा आशा है वह देश में कैमरा बनाने वाली एक बढ़ी कम्पनी हो जाएगी।

भारत ग्राफथेल्मिक की तकनीकी समस्या हल हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक इस दशा में प्रयत्नशील हैं और हमें आशा है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।

इंजीनियरी सामान के निर्यात पर हमें गर्व करने का प्रत्येक कारण है। मशीनों की किस्म की सब जगह सराहना की गई है। हम इंजीनियरी सामान का ही निर्यात नहीं कर रहे हैं वरन् पूरे संयंत्र का निर्यात कर रहे हैं। हमने लीबिया, केनिया, तनजानिया और नाइजीरिया तथा अनेक तेज़ी से विकास कर रहे देशों में महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लिए हैं। हम 100 करोड़ रुपए के बड़े कार्यों के लिए संयुक्त रूप से अन्य कम्पनियों के साथ मिल कर कार्य करने की प्रक्रिया का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय योग्यता का उपयोग करना है। यदि आवश्यक हुआ तो संयुक्त प्रयत्न करने के लिए एक विधेयक भी लाया जाएगा जिससे निर्यातक एक दूसरे से अपने को नीचा न समझें।

तकनीकी विकास में महानिदेशालय से सबको शिकायत है। इसका कारण यह है कि वह अत्र नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत कच्चे माल का वितरण करता है।

अब इसे देश के उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है तथा पिछले कुछ वर्षों से उस पर देश में उद्योगों के समन्वित विकास और प्रभावकारी योजना बनाने का भार डाला गया है। वे उद्योग द्वारा प्रतिमास बनाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा भी रखते हैं तथा उद्योग ही नहीं वरन कारखाने विशेष के उत्पादन संबंधी रूख का लेखा-जोखा रखने की पद्धति का विकास किया गया है।

1975 में 962 आशय पत्र तथा नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए 1027 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए। पिछले क्षेत्रों के लिए क्रमश: 302 प्रतिशत और 21 प्रतिशत आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिए गए। पिछड़े क्षेत्रों को दिए गए 46 प्रतिशत लाइसेंसों का उपयोग किया जा चुका है।

औद्योगिक (विकास और विनियन) अधिनियम में कुछ आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। नई वस्तु और पर्याप्त विस्तार की व्याख्या को और स्पष्ट किया गया है जिससे किसी प्रकार का भ्रम पदा न हो। नए विधेयक में यह व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा एक उद्योग को अपने उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात करना आवश्यक होगा। किसी विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने का अनुदेश देने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। शर्तों के अनुसार उत्पादन न करने और संयंत्र की स्थापना के एक वर्ष के अन्दर उत्पादन आरंभ करने की दशा में औद्योगिक लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। क्षमता के कम उपयोग करने तथा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के दोषी व्यक्ति के लिए अधिनियम में दण्ड की व्यवस्था की गई है, छपाई मशीन, रबर मशीन और कैमरा, गैर-मद्य पेय का उत्पादन करने

वाले उद्योगों को शामिल करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

गैर आवासीय भारतीयों की पूंजी के लिए भी एक योजना बनाई गई है। चाहे जिस भी देश में वह रहते हों और क्यों न वहां कितने ही खुश हों हमें उन्हें यह बताना चाहते हैं कि भारत के द्वार पर हमेशा उनका स्वागत होगा और उन्हें जल थल बिजली संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इस योजना की सफलता विभिन्न राज्य सरकारों से सहायता पाने वाले प्रथम 10 व्यक्तियों पर निर्भर है।

उद्योगों के संकट में पड़ने के बारे में भी सर्वेक्षण किया गया है। कोई भी उद्योग कच्चे माल की कमी, कुप्रबन्ध, वित्त की कमी के कारण संकट में पड़ता है। रिजर्व बैंक ने उद्योगों के रुग्ण होने की जानकारी रखने के लिए एक दल का निर्माण किया है यह दल उद्योग के संकट में पड़ने पर आवश्यक कदम भी उठाएगा।

नियंत्रणों के हटाए जाने पर अनेकों वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं। मेरा विश्वास है कि उन नियंत्रणों को हटा दिया जाए जिनका आम उपयोग की वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है और जो केवल लोगों को कठिनाई में डालने वाले हैं। उत्पादन वृद्धि और प्रभावकारी वितरण का कोई अन्य विकल्प नहीं है। अब बाल आहार और ब्लेडों पर से भी मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा। नागरिक पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन किया गया है। हमारा उद्देश्य देश में उपभोक्ता आन्दोलन चलाने और जनसाधारण के हितों को सर्वोपरि रखने का है।

177 वस्तुओं के संबंध में लघु उद्योगों की कार्य कुशलता का अध्ययन करने के लिए एक प्रणाली अपनाई गई है। संकट ग्रस्त और बंद कारखानों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योगों का विकास हो रहा है। 1974 में इनकी विकास दर 10.5 प्रतिशत थी 1976 में यह बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। हम इनमें आने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास करते ह। पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाले लघु उद्योगों को ऋण सहायता दी जाती है। यह राज सहायता पेशगी दी जाएगी तथा योजना के पूरे होने पर नहीं। यह बिना ब्याज ऋण के रूप में दी जाएगी तथा परियोजना के पूरा होने पर उसका समायोजन कर लिया जाएगा।

व्यापार विकास प्राधिकरण के आधार पर हम समिति विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत एक जन अर्जन न करने वाले संगठन का गठन करने पर विचार कर रहे हैं। जिसे पुर्नगठित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहयता दे सकता है। ए० बी० ए० डी० उसे वित्तीय सहायता नहीं देगा यह औद्योगिक क्षेत्र के बाहर आधारभूत ढांचे के विकास का आंशिक वित्त पोषण करेगा क्योंकि औद्योगिक बैंक इसके लिए वित्त नहीं देता। यह पिछड़े क्षेत्र के स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की संभव्यता प्रतिवेदन तैयार करने में मदद देगा। यह रुपया निदेश करने वालों को पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उपलब्ध प्रोत्साहन के संबंध में जानकारी देगा यह पूंजीगत राज सहायता योजनाओं को भी चलाएगा तथा राज्य सरकारों से निकट संपर्क बनाए रखेगा।

पिछड़े क्षेत्रों संबंधी औद्योगिक प्रार्थना-पत्रों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए पी० ए० बी० प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तथा शत प्रतिशत निर्यात प्रधान मामलों की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी ।

बड़े शहरों के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन न देने के लिए एक व्यापक पद्धति अपनाई जाएगी । हम चाहते हैं कि 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को वर्तमान उद्योगों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के अलावा और कोई लाइसेंस न दिया जाए ।

पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे लघु उद्योगों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय साम्य निधि की स्थापना की जाएगी तथा इसका प्रबंध राष्ट्रीयकृत बैंक की मार्फत ए० बी० ए० डी० करेगा सरकारी क्षेत्र की किसी परियोजना को चालू करने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय ए० बी० ए० डी० से विचार विमर्श करना चाहिए ।

औद्योगिक विकास के नाम पर यदि किसी व्यक्ति को अपनी जमीन से वंचित किया गया हो तो मंत्री इस प्रकार का आदेश देंगे कि रोजगार सरकारी क्षेत्र का हो या गैर सरकारी का परिवार का कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य उपलब्ध किया जाएगा । यह उसका अधिकार होना चाहिए ।

सभापति महोदय मैं आपका और माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरू) : आपने चीनी के संबंध में कुछ नहीं कहा।

श्री टी० ए० पाई : एक समिति जांच कर रही है ।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : ट्रैक्टरों के मूल्य कम करने के संबंध में आपका क्या विचार है

श्री टी० ए० पाई : टैक्टरों के मूल्यों में कमी करने के संबंध में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता लेकिन इतना जरूर है कि टैक्टरों के मूल्य बढ़ाए नहीं जाएंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सरकार ने नई नीति की घोषणा तो कर दी है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का क्या मान दण्ड है।

श्री टी० ए० पाई : पिछड़ेपन के मानदण्ड पर भी विचार किया जाएगा।

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलाल गंज) : पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का क्या लाभ है अगर उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता ।

श्री टी० ए० पाई : पिछड़े उद्योगों के स्थानान्तरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके।

उत्तर बिहार के 9 ज़िलों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में एक नई योजना शुरू की जा रही है और इसके माध्यम से हम चमारों, लुहारों, कुम्हारों को नई प्रौद्योगिकी देकर उनका जीवन उन्नत बनाना चाहते हैं।

मुझे आशा है कि इस देश में औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। उद्योगपतियों को उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए इस संबंध में उन्हें और अधिक शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि हम एक बार इस उत्पादन दर को प्राप्त करके इसे तीन चार वर्षों तक बनाए रखें तो और अधिक उत्पादन के लिए हम वातावरण तैयार कर लेंगे।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1976–77 की निम्नलिखित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following demands for grants in respect of Ministry of Industry and civil Supplies for the year 1976-77 were put and adopted :—

मांग संख्या शीर्षक	राशि	
60. उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	2,83,31,000	
61. उद्योग	18,09,47,000	123,02,93,000
62. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	27,32,48,000	28,05,79,000
63. नागरिक पूर्ति और सहकारिता	5,60,98,000	23,36,33,000

मुनाफाखोरी निवारण और कीमत नियंत्रण विधेयक--जारी

PROFITEERING PREVENTION AND PRICE CONTROL BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब हम श्री के० लकप्पा द्वारा 8 अप्रैल, 1976 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव "कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" पर आगे विचार करेंगे।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरू) : मैं अपने मित्र श्री लकप्पा को इस विधेयक के पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देता हूं। 1973 में इस विधेयक को पेश करके उन्होंने बड़ी दूरदृष्टि से काम लिया है। सरकार ने कई उपाय किए हैं आपात स्थिति की घोषणा के बाद से मूल्यों में कमी हुई है। विधेयक का खण्ड 4 एक अच्छा प्रावधान है। इसमें व्यवस्था की गई है कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर वस्तुओं के मूल्यों तथा उपलब्ध स्टाक की निर्धारित रूप में सूची लगानी अनिवार्य होगी। प्रस्तावक चाहता हूं कि सरकार ऐसे मुनाफाखोरों तथा चोर बाज़ारियों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करे जिनका अतीत में मूल्य स्तर को ऊंचा करने तथा बनावटी कमी पैदा करने में बड़ा हाथ रहा है। इन लोगों के विरुद्ध अब आंसुका के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों तथा गांवों में कोई सहकारी स्टोर नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए सहकारी स्टोरों की व्यवस्था की जाए। सरकारों को सहकारी समितियों के कार्यकरण की भी जांच करनी चाहिए। मैं पिछले वर्षों से सहकारी आन्दोलन से संबद्ध हूं। मेरे जिले में पहले दो सहकारी समितियां खोली गई बाद में उनका दिवाला निकल गया। दोषी व्यक्तियों के प्रति जो कि 2 लाख रुपये के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद मूल्यों में कमी हुई है। समय पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा तथा अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए हमें प्रधानमंत्री का आभारी होना चाहिए। मेरे ज़िले पश्चिम गोदावरी में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद सभी अत्यावश्यक वस्तुओं में कमी हुई है। आपात स्थिति से पूर्व और बाद के हमारे ज़िलों के आकड़े निम्नलिखित है।

	मूल्य प्रति किलो 15-6-75	मूल्य प्रति किलो 9-4-76
	रुपयों में	रुपयों में
चावल (किस्म क)	2.25	1.50
चावल (किस्म ख)	2.10	1.35
मक्का	1.15	0.80

आप आवश्यक वस्तुओं यथा दालों, मिर्चों, वनस्पति तथा मूंगफली आदि के तुलनात्मक आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि आपातस्थिति की घोषणा के बाद मूल्यों में कमी आई है। उपयुक्त समय पर आपात स्थिति की घोषणा कर स्थिति पर काबू पाने के लिए हमें प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिये।

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani): I am fully aware of the ability of Shri Lakkappa but I may point out one thing that this Bill was drafted by him in 1973, a time when prices were shooting up. The Bill is being discussed now, i.e. in 1976 when the position has changed, altogether. After the declaration of emergency and 20-point programme the rising trend of prices has been checked. Now the situation is improving day by day. So Shri Lakkappa should have given a second thought to this Bill before moving the same.

During the time a good number of black-marketeers and hoarders have been rounded up. But still there are for profiteers and black marketeers who are yet to be brought to book. Another vigorous attempt should be made by the Government to catch hold the profiteers.

It is a matter of concern that prices of certain articles are still quite high. A serious attempt should be made by the Government to bring down the prices of these articles. At the sometime it should be ensured that essential commodities are made available at reasonable prices in rural areas also.

SHRI RAJDEO SINGH (Johnpur): I am thankful to Shri Lakkappa for bring forward this bill which though appears to be quite simple but is of vital importance. If the Government is having some measures in hand to meet the objects of this Bill then I will request Shri Lakkappa to withdraw the Bill but if the case is otherwise, then this Bill should be accepted by the Government.

Now what has happened after the declaration of emergency? Shopkeepers have started displaying price lists. But now again they have started discontinuing the display of lists. The stock position is also not indicated. So once again, steps should be taken to ensure that shopkeepers abide by these instructions. They should also be asked to issue receipts for the good which they sell. My submission is that profiteers should be strictly dealt.

*श्री जगदीश भट्टाचार्य (बाटल) : हमारे समक्ष मुनाफाखोरी रोकने तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी जो विधेयक श्री लकप्पा द्वारा प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य निश्चय ही सराहनीय है तथा मुझे आशा है कि सभी सदस्य उसका समर्थन करेंगे । बिल के अच्छे उद्देश्य के अतिरिक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि इसे बहुत जल्दी से तैयार किया गया है तथा इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं । उदाहरणार्थ विधेयक की धारा 3 (1) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम मूल्य लिखने के लिए कहा गया है परन्तु वस्तुओं के मूल्य तो सप्लाई स्थिति पर ही निर्भर करते हैं । अतः बिना सप्लाई स्थिति के उनका विशेष औचित्य नहीं रह जाता । जब तक वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करवाया जाता तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार विधेयक की धारा 5 में यह व्यवस्था है कि दुकानदार बेची गई प्रत्येक वस्तु के लिए रसीद जारी करेगा । इससे तो छोटे दुकानदारों के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी । क्या यह सम्भव होगा कि दुकानदार प्रत्येक छोटी छोटी वस्तु के लिए रसीद जारी करे ।

अतः इन त्रुटियों के सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तावक को उचित मसौदा तैयार करके ही यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था ।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): The Bill under discussion is of vital public importance, and I feel that it should be accepted by the Government. But in case the Government is not in a position to accept it, they should themselves come forward with a comprehensive Bill which should contain the provisions of the present bill.

The Bill also contains a list of essential commodities but that list does not appear to be a complete one. I feel that Cotton Yarn should also be added to the list. similarly medicines are also among the essential commodities and they should also be added in the same list. It is strange that the Government themselves have increased the price of medicines. As the medicines are used by the common man, so Government should always consider this aspect which deciding about any price rise.

Lastly I may submit that every effort should be made to keep the prices of essential commodities under control. Strict action should be initiated against the profiteers. More imposition of fine on them will not be enough. They should be put behind the Bars. If the Government is really keen for putting an end to hoarding and profiteering, and wants to keep the prices under strict control then the essential commodities should be nationalised. With these words, I support the Bill.

SHRI RAM SINGH BHAI (Indore): Sir, I not only support the Bill but I consider that it is a Bill of vital public importance. Its intentions are landable. Under the present circumstances it has become necessary to fix the prices of essential commodities. It is an accepted fact that the prices of some of the commodities have gone down, but these are certain essential commodities such as milk, whose prices are still high. Therefore, the fixation of prices of certain articles is the need of the hour and until and unless it is done, the prices may again adopt an upward trend.

The prices of cars have gone down but the price of cycle which is used by the common man has gone up. Similarly although the price of television has gone down the price of transistors, which are used by common man even in rural areas, have gone up . Steps must be taken to bring down the prices of articles which are used by the comman man rather than the articles used by the people belonging to affluent class of society.

The Bill is a good one foı dealing with the price situations and if the Government is proposing to come forward on a similar legislations', then Shri Lakkappa may withdraw the same.

---

*बंगला भाषा में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version of based on English translation of speech delivered in Bangla.

SHRI M. C. DAGA (Pali): The Bill brought forward by my colleague Shri Lakkappa is a good measuring for arresting the price rise but the real problem is that there are certain clauses of the Bill which appear to be impracticable. For instance I may say that it will be very difficult for small shopkeepers of rural areas to issue receipts for every petty item sold by them. Similarly it will be equally difficult for them display a fresh list of stock. But even if all this is done, a majority of our people in rural areas are illiterate, so it will not be of my good help to them.

Secondly this Bill was drafted in 1973, when the prices had an upward trend. Now the position is considerably changed. In the meantime many effective measures have already been taken by the Government.

So in view of the fact that firstly this Bill is an impracticable one and secondly that it is an old one inview of the changed circumstances. I will request my friend Shri Lakkappa to withdraw the same.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : श्री लकप्पा द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक सर्वथा अनावश्यक लगता है क्योंकि इस विधेयक से सम्बद्ध अधिकांश उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा नियम और विनियमों आदि से सिद्ध हो जाता है। समय-समय पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन नियमों तथा विनियमों को लागू करती रही हैं। इतना ही नही भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किए जा चुके हैं। मूल्य नियंत्रण आदेश भी लागू किया जा चुका है। अब तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधीशों को अण्डों तथा दूध का मूल्य निश्चित करने का आदेश भी दिया जा चुका है तथा अब इनके अन्तर्गत किये गये अपराधों पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

इतना सब ही नहीं अपितु अब तो औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के मूल्यों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जा रहा है। कार तथा मोटर गाड़ियों का मूल्य औद्योगिक विनियम नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जा रहा है। अब स्टैण्डर्ड कपड़े को भी लीजिये। इसका मूल्य पहले ही निश्चित किया जा चुका है तथा इसे अधिक मूल्य पर बेचने वालों के विरुद्ध अब मुकदमा चलाया जा सकता है। अतः इन सभी तथ्यों तथा विनियमनों के सन्दर्भ में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विधेयक की विशेष आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इसीलिए यद्यपि प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है अब उसके लिए अधिक दबाव डालने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती।

SHRIMATI SAVITRI SHYAM (Anola): There is no doubt that this Bill was drafted by Shri Lakkappa in 1973, a year when the prices of essential Commodities were not only shooting up, but even the commodities of common use were not available in the market. But now, things have changed a lot. The essential Commodities Act and Drugs and Cosmetics Act are in force today. The situation has eased. But still there is some difficulty in getting the commodities in the market. So the Government should see that the prices of essential goods of daily used are regulated.

The prices of several agricultural Commodities have gone down. But on the other hand the prices of agricultural machinery such as tractors and pumping sets etc is still quite high. This must be looked into by the Government.

Most of the productions of consumer goods is in the hands of private sector, and they are making huge profits out of it. consequently private sector is paying fantastic salaries and perquisites to their executives. That way the list of our talent is being attracted towards private sector. It is something quite serious. The Government should see that the salaries in the private sector are brought at par with those prevailing in the public sector or in Central Services.

I have also learnt that the Government is proposing to a bill for the protection of consumers. It is envisaged to constitute a National Consumer Protection Council under this Bill.

Lastly I may suggest that the Government should fix a margin of profit for the producers so that they may not exploit consumers. It is necessary that the intensity of the consumers are safeguarded.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मेरे मित्र श्री लकप्पा ने यह विधेयक नेक तथा स्वागत योग्य इरादों से पेश किया है। कुछ दृष्टियों से तो यह विधेयक बहुत ही सराहनीय है। परन्तु श्री लकप्पा ने 1973 में यह विधेयक पेश किया था तथा अब तक इसके अनेक उपबन्धों को लागू भी किया जा चुका है।

1973-74 में देश में अभाव की स्थिति थी। मूल्य बढ़ रहे थे, आम उपयोग की बहुत-सी वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी और उपभोक्ताओं की यह आम शिकायत थी कि उनकी सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। उस समय मूल्यों में 28 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसलिए श्री लकप्पा का 1973 में इस विधेयक को लाना सर्वथा उचित था, परन्तु इस बीच सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। अक्तूबर, 1974 में पहली बार भारत सरकार ने नागरिक पूर्ति का एक अलग विभाग बनाया था और उचित वितरण के लिए लगातार प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के प्रयत्नों का अच्छा प्रभाव पड़ा है और इस वर्ष मुद्रा स्फीति में कमी हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में बड़ा सुधार हुआ। मुद्रास्फीति पर ही नियंत्रण नहीं लगा वरन् गत वर्षों की तुलना में मूल्यों में बड़ी तेजी से गिरावट आई।

थोक मूल्यों में भाव के गिरने का असर उपभोक्ता मूल्यों पर भी पड़ा। अक्तूबर, 1974 में औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 335 था। मार्च तक यह गिरकर 321 हो गया और तब से यह और नीचे गिरा है तथा फरवरी, 1976 में यह 209 था। इस प्रकार वर्ष 1975-76 में औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य में 6.5 प्रतिशत की कमी हुई कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अत्यधिक और तेजी से गिरावट आयी उनके सूचकांक में 21.7 प्रतिशत की गिरावट आई।

27 मार्च से 24 अप्रैल के बीच मूल्य सूचकांक 283 से 288 के बीच रहे। हमारी इच्छा वितरण व्यवस्था को सुधारने और स्थिति की समीक्षा करते रहने की है। हमारे देश में मई, से अक्तूबर, तक प्रति वर्ष मूल्यों में वृद्धि होती है। परन्तु पिछले वर्ष पहली बार मई, 1975 से अक्तूबर, 1975, तक मूल्यों में वृद्धि तो हुई ही नहीं वरन् हम मूल्य कम करने में भी सफल हुए और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न उपाय कर रहे हैं। हम मूल्यों को पूरी तरह से सदैव के लिए निश्चित नहीं करेंगे। परन्तु हम मूल्यों के एक उचित स्तर पर निश्चित किए जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे किसान को लाभ होगा और वह अधिक उत्पादन करना चाहेगा। इसके साथ ही हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलें। इसके लिए हमें मूल्य और सप्लाई बनाए रखने के लिए एक एजेंसी की स्थापना करने पर भी विचार कर रहे हैं हमें उपभोक्ता की सुरक्षा तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने के भी प्रयत्न करने होंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि सूचना व्यवस्था अच्छा काम कर रही हैं। इसके साथ ही हमारी वितरण व्यवस्था तत्काल बनाई गई व्यवस्था नहीं है और न ही यह अभाव की स्थिति में तदर्थ रूप में बनाई गई है। हमारे जैसे बड़े देश में यह स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए तात्कालिक

नहीं। इसके लिए हम विभिन्न राज्यों के सहयोग से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहे हैं जो जनता की कठिनाई में और सामान्य स्थिति में भी मदद करेंगी।

विधेयक की मद सं० 2 के अन्तर्गत प्रस्तावक वस्तुओं के मूल्य प्रदर्शित कराना चाहता है। इस बारे में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और इससे राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इसे बलपूर्वक लागू किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को कुल भार और माप प्रदर्शित करना तथा बिक्री का मूल्य दिखाना आवश्यक है। तथापि उपभोक्ता आन्दोलन को प्रभावकारी रूप से चलाया जा सकता है तथा जो उपाय हमने किए हैं, मुझे आशा है कि उनसे उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी।

यह कहा गया है कि वर्तमान उपभोक्ता आन्दोलन शहरी क्षेत्र तक सीमित है। उपभोक्ता सहकारिता विकास निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने के लिए शहरी समितियों को पर्याप्त सहायता दी जाने की योजना बनाई है।

खंड 1 में मूल्यों के निर्धारित किए जाने की बात कही गई है। आम उपयोग को अधिकतर वस्तुएं विभिन्न नियमों और विनियमों के अन्तर्गत आ जाती है। अतः मूल्यों के निश्चित किए जाने का निर्णय लेने के लिए इसकी गहराई में जाना होगा।

इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कदम मूल्यों का स्थरीकरण है। मूल्य के स्तर को तथा वस्तुओं की किस्म को नियंत्रण में रखने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद् की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगेगी। यह परिषद् मूल्यों की स्थिति पर निगाह रखेगी तथा इससे उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। इसकी शीघ्र ही स्थापना की जाएगी।

उपभोक्ता स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए मैं श्री लकप्पा से विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं

श्री के० लकप्पा : यह विधेयक आपात स्थिति से पहले पुरः स्थापित किया गया था। आपात स्थिति से देश में अनुशासन आया है और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं। लेकिन आज भी उस विधेयक का उद्देश्य संगत है। सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जाने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में थोक व खुदरा मूल्य नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य कम नहीं हुए हैं।

सरकार को आपात स्थिति से लाभ उठाना चाहिए और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने चाहिए। जमाखोरों, काला बाजारियों, जाली माल बनाने वालों तथा ब्रांड नाम की वस्तुयें बनाने वालों को उनके उचित स्थान पर लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें। यदि सरकार सम्पूर्ण विनिर्माण पद्धति को नियंत्रण में नहीं ला सकती है तो कम से कम वितरण व्यवस्था को नियंत्रण में लाना नहीं चाहिए। जन खपत की वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाना अत्यावश्यक है। हमें आपात स्थिति की उपलब्धियों को स्थाई बनाने के लिए अब उपयुक्त कानून बनाने होंगे।

अब हमें कृषि संबन्धी उपकरणों तथा ट्रैक्टर आदि के मूल्यों में कमी करने के लिए भी उपयुक्त कार्यवाही करनी होगी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हमें इस ओर अधिक कुशलता और प्रभावशाली ढंग से काम करना होगा।

श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the chair*]

उद्योगों तथा व्यापारिक निगम का यह उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का माल दे। उपभोक्ता आन्दोलन इस समस्या का समाधान करने में सक्षम होना चाहिये। सहकारी समितियों के द्वारा यह आन्दोलन चलाया जा रहा है, परन्तु इन समितियों में भी बड़ा गोलमाल है और स्वार्थी तत्व घुस गये हैं।

सरकार उपभोक्ता वस्तुओं की किस्म और मूल्य विनियमित करे तथा उनके वितरण पर पूरा नियंत्रण करे। एकाधिकार गृहों पर पूरी निगरानी रखी जाए। ये अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। इस दिशा में यह विधेयक बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध होगा।

कुछ कदम मूल्य नियंत्रण की दिशा में उठाए गये हैं। तथा मंत्री महोदय ने यह आश्वासन भी दिया है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और कदम उठाए जाएंगे। मंत्री महोदय के इस आश्वासन की दृष्टि से मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि श्री के० लकप्पा को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को विनियमित करने तथा ऐसी वस्तुओं पर मुनाफाखोरों को रोकने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(CONSTITUTION AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 124 का संशोधन)

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

यह विधेयक 25 जून, 1971 को पुरः स्थापित किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निष्पक्ष होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय एक ऐसा मुख्य प्रासाद है जिसके आधार पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। अतः संविधान में दिए गए हमारे विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायांग का होना अत्यावश्यक है।

गत 23 वर्ष तक यह प्रथा रही कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। श्री राय की नियुक्ति के समय इस प्रथा को तोड़ा गया। इस विधेयक के विरोध में 14वें विधि आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दिया जाएगा। परन्तु इसके अतिरिक्त और भी सिफारिशें, उसमें की गई थीं जो बट्टे खाते डाल दी गई हैं।

सुझाव दिया गया है कि न्याय का यह उच्चतम मंच सभी प्रकार के दबावों से मुक्त होना चाहिए जिससे कि वह अपना स्वतंत्र स्वरूप न खोने पाये। एक यह सुझाव भी दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संसद द्वारा दो तिहाई के बहुमत से की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके प्रमाणित दुरव्यवहार अथवा अक्षमता के आधार पर पदच्युत करने के मामले में सदन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

न्यायपालिका में किसी व्यक्ति को उच्चतम पद पर नियुक्त करने के मामले में दर्शन का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक मुख्य स्तम्भ यह लोक तंत्र है और न्यायाधीशों को सभी प्रकार के दबावों से समुचित तरह से मुक्त रहना चाहिए । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया नियत की जानी चाहिए और इस प्रक्रिया को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए तथा इसे संविधान का अंग बनाया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं श्री पी० के० देव द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का कठोर विरोध करता हूं। वे यह मानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश यदि पदोन्नति करके बनाया जाना है तो उस पर सरकार का प्रभाव रहेगा क्योंकि वह ही उसकी नियुक्ति करती है।

एक न्यायाधीश का चरित्र, गुण और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कार्यपालिका उसे कितने लाभ या पुरस्कार देती है, परन्तु इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें आत्म-बल कितना है। इंग्लैंड में न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति राजनीति से सम्बद्ध होता है। वहां की न्यायपालिका, फिर भी राजनीतिक प्रभाव से अछूती रहती है और वहां किसी ने भी न्यायपालिका के कार्यकरण पर आरोप नहीं लगाये हैं। अतः इस मामले में महत्वपूर्ण है परम्परा। हमारे देश में भी शायद ही कोई अवसर ऐसा आया हो जब कि न्यायापालिका के दिन प्रति दिन के कार्य में कार्यपालिका ने हस्तक्षेप किया हो। अतः चयन के मामले में गुणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि आयु अथवा वरिष्ठता।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना कितना अधिक कठिन है। इसके लिए संसद में मूल प्रस्ताव दो-तिहाई मत से पारित किया जाना चाहिए ।

हमें सर्वप्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति के विवेक और निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए कि वह राष्ट्रपति में न्यायापालिका के इस सर्वोच्च पद पर योग्यतम व्यक्ति ही नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त नहीं होते। फिर वरिष्ठता से व्यक्ति में अन्य योग्यताओं का होना सिद्ध नहीं होता जो कि इस पद के लिए आवश्यक है।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए केवल वरिष्ठता पर ही विचार किया जाना चाहिए या नहीं। विपक्ष द्वारा एक गलत विचार का प्रचार किया गया।

उनके अनुसार प्रतिबद्ध न्यायपालिका वह है जो कार्यपालिका का पक्ष लेने के लिए अपनी न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को त्याग दे और जो सरकार कहे उसे मान ले। किन्तु यह प्रतिबद्धता नहीं है। वस्तुतः प्रतिबद्धता का अर्थ है ऐसी न्यायपालिका से जो संविधान के दर्शन के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध है। अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक 1971 में प्रस्तुत किया गया था तथा अब इसका महत्व सर्वथा समाप्त हो गया है क्योंकि 1973 में इस पर व्यापक चर्चा हो चुकी है।

इस देश में विधि-शासन को न्यायपालिका ने बिल्कुल उलट दिया है और दुर्भाग्य से यहां न्यायपालिका ने इस स्थिति को वैधता प्रदान कर दी है। हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, जबकि जनसाधारण का वहां जाना बहुत ही अनिश्चित होता जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह निर्णय दिया है कि जब तक आपात स्थिति चलती है हमें किसी प्रकार मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं है तथा निदेशक सिद्धान्त लागू नहीं होते।

सभापति महोदय : क्या हम आज आगे चर्चा जारी रखें या कल ?

कुछ सदस्य : कल ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 10 मई, 1976/20 वैशाख, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 10, 1976/ Vaisakha 20, 1898 (Saka).

427LSS/76—GIPF.